

**CONTRIBUTIONS TO THE DEPRECIATION  
RESERVE FUND OF THE RAILWAYS**

**241. SHRI P. C. BHANJ DEO:** Will the Minister for RAILWAYS be pleased to refer to his statement in course of the debate on the Appropriation (Railways) No. 2, Bill, 1952, on the 14th July 1952 that the contribution of Rs. 70 crores a year to the Depreciation Reserve Fund of the Railways was not really necessary or justified, and state the considerations on which that statement was based?

THE DEPUTY MINISTER FOR RAILWAYS AND TRANSPORT (SHRI O. V. ALAGESAN): **As the hon. Member is aware, the Convention Committee fixed a minimum annual contribution of Rs. 15 crores to the Depreciation Reserve Fund. Due, however, to the rise in price level, the charging of inflationary and improvement elements in replacement costs to the Fund and the need for large scale replacement and renovation of assets belonging to the (ex-States) Railways taken over by the Centre with effect from 1st April 1950, the contribution was raised in view of the then rate of withdrawals from the fund to Rs. 30 crores with the approval of the Standing Finance Committee for Railways in February 1951. Taking into account other demands on railway revenues, the current receipts did not permit a contribution higher than Rs. 30 crores.**

**ALLOTMENT OF TIME FOR THE  
APPROPRIATION (VOTE ON AC-  
COUNT) BILL, 1954**

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that under rule 162(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I have allotted thirty minutes for the completion of all stages involved in the consideration and return of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1954, by the Council, including the consideration and passing of amendments, if any, to the Bill.

**ALLOTMENT OF TIME FOR THE  
APPROPRIATION (RAILWAYS) NO 2  
BILL, 1954**

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that under rule 162(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I have allotted three hours for the completion of all stages involved in the consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1954, by the Council, including the consideration and passing of amendments, if any, to the Bill.

**THE HINDU MARRIAGE AND  
DIVORCE BILL, 1952—continued.**

PROF. G. RANGA (Andhra): Mr. Chairman, I was saying yesterday that I was in favour of this Bill and that it makes no revolutionary break with the traditions of at least the majority of our own masses in our country, and it would only be human to extend this privilege of getting freedom from this otherwise long .....

AN HON. MEMBER: Sir, may I know if the time limit fixed for these two Bills is for today?

MR. CHAIRMAN: Not to say. Prof Ranga will continue.

PROF. G. RANGA: Well, Sir, I am glad that this Bill provides, under clause 15, that there should be no petition for divorce to be presented within three years of marriage. But, I am not at all satisfied with clause 12 where provision is made for petition for decree of invalidity of marriage; and in another clause certain conditions, lunacy or some other disqualification of the party concerned to the marriage. There is every possibility of misuse of this provision and any amount of unnecessary litigation being engaged in by the people, and it would not be in the interests of either party that they should be given this inducement to go to court on the alleged plea that the man or the woman is not good enough either in body or in mind. Therefore, I would like the Select Committee as well as the Houses to reconsider these provisions. Then, Sir, in their wisdom.....

[Prof. G. Ranga.]

AN HON. MEMBER: You don't want them to consider?

PROF. G. RANGA: I want them to reconsider these provisions and come back with the same provisions or they may improve upon them. I am not at all in favour of a divorce merely because of these conditions. Whose fault is it if the boy or the girl is not good enough for marriage? We do not know whether they are good enough or not. I do not want them to be placed at the mercy of the lawyers or doctors. If either party is not happy about it after a period of two years, they may go to the court under clause 12 for judicial separation and that ought to be satisfactory. I want careful consideration to be given in this manner to all other clauses also and I do not wish to worry the House with detailed consideration for every one of these clauses. But one thing, I am extremely anxious should be accepted by Parliament is. it is high time that we passed some such law as this, and if it is at all possible for Parliament to accept this Bill as amended, then, we ought to go ahead with it. I am nettled over one thing. Why do you want to call it 'Hindu Code'? I do not want this thing to be enacted for the benefit of the Hindu community alone.

Here, in India, we call ourselves a Secular State; we want to help all the women in our country and all the men. I would like you to understand the force of my argument. Let us help t of all jour 3 P.M. Hindu women and later on let us try and extend the benefits of this Bill to other women also. But, nevertheless, I do think that there is something wrong even at this stage for us to begin to think in this compartmental manner. Can anybody say that it would be a good thing to assure a Hindu woman that her husband, the present one or the future one, will not be allowed to have another wife, while, at the same time, a "Mohammadan boy can be allowed to have four wives? If it is such a good thing to allow a man to have four wives in one particular society,

then why should you not allow the same sort of privilege to the other people too? Unless we are afraid of tackling the social problems of many communities in our own country, we should be willing to extend the benefits of this Bill to the other communities also. Christians are already wedded to the institution of monogamy. We think.....(Interruption.) Therefore, you have it; I do not deny it. The only community which does not have it, and which is an exception to this, is the Muslim community.

SHRI O. SOBHANI (Hyderabad): Under the Muslim law a man can divorce his wife and woman gets *Khola*, i.e. judicial separation from the husband.

PROF. G. RANGA: I know it. *Talauq, talauq*. Is it or is it not true that a Mohammadan boy can have four wives at one and the same time, according to the present law? Therefore I protest against it. I want this Bill to be extended to that community also, so that it would not be possible for any man, to whichever religion he may belong, to shock our own social conscience and begin to have two wives, three wives and four wives. It is absurd and too beastly. And that is why I say that it is high time that we stopped insulting ourselves by calling this a Hindu Marriage Bill. Call it a Marriage Bill by all means. I am prepared to accept it. And even as it is, although it is not satisfactory to me, I want to save at least a portion of my own community, of my own people, in this country. And for that reason, Sir, I am prepared to accept this Bill as it is, though at present it is incomplete in its scope.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND:

डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, आज मैं इस बिल पर हिन्दी में बोलने की कोशिश करने जा रही हूँ इसलिए कि यह कहा जाता है कि यह बिल सभी सुशिक्षित बहनों द्वारा अपनी अशिक्षित बहनों पर जबरदस्ती लादा जा रहा है। उनके प्रति हमदर्दी प्रकट करके जैन लोग उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं यह सब वह खुद

समझें, इसलिए मैं हिन्दी में बोल रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी हिन्दी ज्यादा स्पष्ट नहीं है और मुझे बोलने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए जहाँ मुझे दिक्कत पड़ेगी वहाँ मैं अंगरेजी का इस्तेमाल करूँगी।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह बिल बड़े लम्बे समय के बाद, कोई दो साल बीत जाने के बाद, हाऊस के एजेंडा (agenda) में रखा गया है। यह बिल एकाएक उस वक्त आया है जब कि हाऊस के सामने और कोई एजेंडा (agenda) तैयार नहीं था और कुछ कार्यक्रम को एकोमोडेट (accommodate) करने के वास्ते इसे रखा गया। इस बिल के एकाएक आने का यही कारण हुआ, ऐसा मालूम पड़ता है। तो जो कुछ लोगों ने यह कहा कि बिल का आना एक बधाई की बात है, ऐसी बात नहीं है।

यह कहा जाता है कि हिन्दू कोड की कोई जरूरत नहीं है विशेषतः इसलिए कि अब स्पेशल मैरिज बिल आ चुका है, और असल में इस वक्त उस के आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो भी यह हिन्दू कोड का जो हिन्दू मैरिज बिल है उस की जरूरत इसलिए है कि हिन्दुओं में से ऐसे लोग जो स्पेशल मैरिज बिल के मातहत अपना विवाह करना नहीं चाहेंगे उन के लिये अपने धर्मान्तर्गत विवाह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी यह कहा गया कि एक हिन्दू जिस का विवाह पहले हो चुका है वह स्पेशल मैरिज बिल के अन्तर्गत अपने विवाह की रजिस्ट्री कर के फायदा उठा सकता है, तो उस का जवाब यह है कि हिन्दू विवाह को स्पेशल मैरिज के अन्तर्गत बाद में रजिस्टर करना कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। यह पति और पत्नी दोनों की इच्छा से ही होगा। अगर पुष्ट राजी न होगा तो यह कैसे हो सकता है?

हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बिल का थोड़ा सा इतिहास बताया। मैं भी आप को थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों

को मालूम भी होगा, कि १९२७ में आल इंडिया वीमेन्स कान्फरेंस ने स्त्रियों की सर्वांगीण स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न आरम्भ किया। उसने बम्बई के डा० देशमुख के जरिये “हिन्दू वीमेन्स राइट टु प्रापर्टी ऐक्ट” (Hindu Women's Right to Property Act) को फिर लाने की कोशिश की। सेंट्रल गवर्नमेन्ट में यह प्रश्न उस वक्त की असेम्बली में जब आया तब जो स्त्रियों का हिन्दू वीमेन्स राइट टु प्रापर्टी ऐक्ट है उस के अन्तर्गत स्त्रियों के लिए और भी क्या कानूनी सुधार करना चाहिए यह देखा जाय ऐसा तब हुआ। उसके बाद श्री सन्धानम हिन्दू ला आफ इन्हेरिटेंस (अमेंडमेंट) बिल [Hindu Law of Inheritance (Amendment) Bill] लाये थे। डा० देशमुख के हिन्दू वीमेन्स राइट टु प्रापर्टी के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। उस वक्त लोगों को यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हिन्दू स्त्रियों के राइट आफ सक्सेशन (right of succession) के अन्तर्गत नियमों में पहले सुधार किये जाने चाहियें और मैरिज (marriage) के कायदे भी उसी में दिये जाने चाहियें। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस वक्त भी हमारी यह कोशिश थी कि जब तक हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट पर विचार नहीं किया जाता, हिन्दू लॉ मैरिज के बिल में हाथ डालना नहीं चाहिए। कल श्री किशन चन्द ने, (MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR) जो हैदराबाद के मेम्बर हैं, अपने बहुत से विचार प्रकट किये। उन के एक ही इस विचार से मैं भी सहमत हूँ। दूसरे जो विचार उन्होंने प्रकट किये उन का मैं पीछे जवाब दूँगी। जब सन् १९४१ में राय कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और प्रोविजनल पार्लियामेंट (Provisional Parliament) में उस को पेश किया गया तो उस समय उस के सिर्फ चार क्लोज़ (clauses) ही पास हुए। अब की दफा लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं

[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.]

कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह बिल खण्डशः लिया जावे। मगर उन क इस कथन से ऐसा मालूम दे रहा है कि पहले से भी ज्यादा देरी इस को पास करने में अब लगने वाली है। दो साल हो चुके, और प्रोग्रेस (progress) इतनी अच्छी हुई है कि उस का 'हिन्दू मैरिज' जो छोटा सा अंग है वह अब आ रहा है। अभी वह अंग सेलेक्ट कमेटी (Select Committee) को, जोइंट सेलेक्ट कमेटी को जायगा। फिर, तीसरा बजट सेशन आ पहुंचा है। ऐसा भी नहीं है कि जोइंट सेलेक्ट कमेटी के लिए अपने यहां उसे मान लेने से ही उस का फैसला हो जाय उसे अभी उस हाऊस के पूरे बजट सेशन में मोशन करने के लिए वक्त मिलना चाहिए, उस को बिल पर बहस करने के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए और उस के बाद जोइंट सेलेक्ट कमेटी बैठेगी और फिर बाद में रिपोर्ट पेश होगी। तो फिर आखिर में क्या होगा? मुझे लगता है कि अगले सेशन, यानी अगस्त, नवम्बर तक यह जो हिन्दू मैरिज और डाइवोर्स बिल है इस को यहां लाने का अवकाश मिलेगा और अभी जो 'संशोधन बिल' पेश होने को है उस के बारे में कहा जाता है कि अभी तो वह बिल तैयार हुआ है और कैबिनेट (Cabinet) के विचारधोन है, और इंटर सेशन पीरियड (inter session period) के बाद, जब शायद उस पर बहस होगी तब वह पब्लिक ओपिनियन (public opinion) के लिए जायगा। तो मुझे इस के बारे में यह कहना है कि आखिर यह बिल करीब १० साल से पब्लिक के सामने है, एक बहुत लम्बे अर्थ से— सन् १९४१ से, बल्कि इस से भी पहले १९३७ से यह पब्लिक के सामने है। इसलिए मुझे इस वक्त यह कहना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब सवसेशन बिल पर मोशन पेश करेंगे उस वक्त उसे पब्लिक ओपिनियन अजमाने के लिए ज्यादा वक्त देना जरूरी नहीं समझेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can advance that argument when the Succession Bill comes up.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND;

मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर मैं अंग्रेजी में बोलूंगी तो जल्दी कह सकूंगी।

Mr. Deputy Chairman, this is the occasion when that argument has to be advanced. I fear I am again in the same boat about the relevancy of this question. I thought I would be in a happy position today that I would not be once again asked not to proceed with a particular argument. Only by proceeding further I can show the relevancy of the whole question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You would be certainly relevant if you urge that ground when the Succession Bill comes up, that it need not be referred to public opinion.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: I really think that, if I were not to mention this point now, I would not have another opportunity to do so. As you know, when a motion for any Government Bill is considered, it is already a motion made and it is not open to a Member particularly to a Government party member to make any amendment. So, unless I make that submission now, it would be too late, when the occasion comes to send it for circulation because with regard to expediting this Bill we have made representations to different authorities and the result has not been very helpful. It is absolutely necessary, therefore, that the whole House should be taken into confidence about the possible fate of this Bill as a whole, as I fear extravagance of time would retard the progress of the Bill. I would very soon read out a letter which I have received from the All-India Women's Conference. I think I must now keep my word and continue my speech in Hindi.

हमारे बहुत से भाई हिन्दू कोड बिल लाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आप इस चीज को क्यों ला रहे हो? इस से तो समाज में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। धर्म के बारे में

किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं होता है। जो लोग इस तरह के रिलीजन इन डेंजर [religion in danger] की बात करते हैं, उन के लिए हिन्दी में क्या कहा जाता है, यह तो मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है, मगर मराठी में ऐसे लोगों को 'धर्म मार्तण्ड' कहा जाता है। मैं इस तरह के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग अपने को सनातन धर्म के अगुवा कहते हैं, वे अपने रोजाना जीवन की दिनचर्या में कहां तक अपने धर्म का पालन करते हैं? वे लोग यह तो कहते हैं कि धर्म के मामले में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और अपने को हिन्दू सनातन धर्म का अगुवा कहते हैं मगर मैं उन से पूछती हूँ कि वे बानप्रस्थ आश्रम का कहां तक पालन करते हैं? ५० वर्ष की उम्र पर भी वे लोग मोनोगैमी (monogamy) के लिए तैयार नहीं होते, फिर शादी करना चाहते हैं। औरत के मरने के १३ दिन पश्चात् वे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या सन्ध्या-वन्दन, पूजन, हवन—उन की दिनचर्या—होती है? जात-पात के मुताबिक गुण, कर्म, रोजगार वगैरह का पालन उन में कहां हो रहा है? इस तरह से उनका हिन्दू धर्म का नारा लगाना क्या दम्भ की बात नहीं है? इस तरह के कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ, मगर मैं इस वादविवाद में फँसना नहीं चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, भगवा वस्त्र पहन कर जनता में झूठा प्रचार करते हैं, अशिक्षित लोगों के ऊपर अक्षर डालते हैं, वे धर्म की आड़ में नाना प्रकार के कुकर्म करते रहते हैं और इस देश की सीधी सादी जनता को अपनी बातों द्वारा फुसलाते रहते हैं। ये लोग विरोधी प्रचार कार्य के लिए विमानों द्वारा सफर करते हैं और भगवा वस्त्र पहन कर सम्पन्न लोगों के धन का इस्तेमाल कर के गलतफहमी पैदा करते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि समाज के अन्दर धर्म की कितनी दीन अवस्था 2 C.S.D.

है। बहुत से हिन्दुओं के मन्दिर मुसलमानों की मसजिदों से, ईसाइयों के गिरजाघरों से, सिखों के गुरुद्वारों से कहीं ज्यादा हीन अवस्था में हैं। क्या मेजरिटी कम्युनिटी के मन्दिरों का ऐसी हीन अवस्था में रहना ठीक है? क्या धर्म मार्तण्ड, धर्माभिमानी इस को पहले सुधार नहीं सकते? हमारे देश में जितने मठ हैं, जिन के श्रो शंकराचारी जी मठाधीश हैं, जिस तरह से इन मठों के पास रुपया रहता है और व्यय किया जा सकता है और जाता है वह सब को विदित ही है। इन मठों में आज जनता की भलाई के लिए क्या किया जाता है, किस तरह से उन का इन्तजाम चलता है, यह आप सब लोगों को मालूम ही है। जब श्री शंकराचार्य जी के सामने एक योजना पेश की गई है कि मठों द्वारा जो कार्य हो सकता है, उस में सरकार की भी सहायता ली जा सकती है। इस सम्बन्ध में दो तीन कॉफ्रेंस भी हुईं मगर उन का कोई परिणाम नहीं निकला। उन लोगों ने इस स्कीम के प्रति कोई भी हमदर्दी जाहिर नहीं की। इस का कारण यह था कि इन लोगों का जो प्रोग्राम है, वह भिन्न तरह का है। वहां तो केवल धर्म की ही बात ज्यादा चलती है जोकि बिल्कुल संकीर्ण तथा संकुचित और उथली होती है। तो धर्म संकट में है वह हिन्दू कोड से नहीं अन्य अनेक लापर-वाहियों से वह संकट में है। कई सालों की गलतियों से।

दूसरी बात मुझे कोडीफिकेशन (codification) के विषय में कहनी है। हमारे कुछ भाई यह कहते हैं कि इस समय हिन्दू लोग मेजरिटी में हैं, कांग्रेस मेजरिटी में है, इसलिए हमारे ऊपर जबरदस्ती की जा रही है और इस तरह का विल लाया जा रहा है। यह सत्य बात है कि हिन्दू कम्युनिटी आज मेजरिटी में है, पार्लियामेंट में उस की मेजरिटी है, उसका एक पुराना कलचर (culture) है, एक पुरानी संस्कृति है, उस को देश के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश

[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.] करना चाहिये जिस के द्वारा समाज में सब के साथ न्याय हो, सब को समान अधिकार प्राप्त हों। इस में स्त्रियाँ आती हैं। इस के साथ ही साथ मैं आप को यह भी बतलाती हूँ कि हिन्दू समाज के एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि उस के लिए एक कायदा हो, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कायदा हो। अगर हिन्दू स्त्रियों के लिए हम इस तरह का सुधार कर सकें तो फिर सिविल कोड (civil code) के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। इस बारे में, मैं यह बतला दूँ कि यह बात किसी एक वर्ग के आन्दोलन से नहीं हो सकती है। इस में सब के सहयोग की जरूरत होती है, तभी इस तरह के कार्य पूरे हो सकते हैं। इस में तौ स्वर्गीय सरदार पटेल जैसे हिम्मती आदमियों के साहस की जरूरत थी। जब वह राष्ट्रीय हित की कोई बात कहते थे तो फिर उस के आगे और कोई दूसरी बात नहीं आती थी, जैसे संस्थानों का खातमा करने के प्रश्न। उन्होंने ने विरोधकों का विचार नहीं किया। आज हम को उसी भावना से इस बिल को भी पास करना होगा। हम को इस बात का ख्याल नहीं करना होगा कि कौन सा क्लाइ पास होता है और कौन सा नहीं बल्कि यह देखना है कि इस के द्वारा समाज की कितनी भलाई हो सकती है। कानूनी अन्यायों से दबी हुई विचारी बहनें रो रही हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि इस बिल के द्वारा कोडीफिकेशन (codification) क्यों होना चाहिये? इस का कारण यह है कि इस तरह जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, वकीलों की इस में बहुत बनती है। साथ ही इस सम्बन्ध में प्रिवी कौन्सिल द्वारा स्वीकृत जो रूलस (rules) हैं, उस से भी सामान्य आदमी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सा कायदा तो ऐसे फैसलों का बना है। राष्ट्र के स्वतंत्र होने से पहिले इस

चीज को दूर करना बहुत ही कठिन काम था मगर अब जब कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इस में जो कठिनाइयाँ हैं, उन को दूर करें, सरकार का भी यह कर्तव्य हो जाता है। जो बुराइयाँ किसी कानून में पहिले से चली आ रही हैं, उन को जारी रखना अब जरूरी नहीं है। यह जो कानून हम यहां पर लाये हैं, यह पहिला कानून नहीं है, इस तरह के और भी कानून जिन के द्वारा जनता को असुविधा होती थी, पास कर चुके हैं। इस तरह के १० या १२ कानून हम पास कर चुके हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं :

Abolition of Sati Act, 1831.

Caste Disabilities Removal Act., 1850.

Special Marriage Act, 1872.

Indian Majority Act, 1875.

Guardians and Wards Act, 1890.

Transfer of Property Act, 1882.

Indian Succession Act, 1925.

Indian Inheritance Disabilities Removal Act, 1928.

Indian Law of Inheritance Act.

Transfer of Property (Amendment) Supplementary Act, 1929' (XXI of 1929).

Child Marriage Restraint Act, 1929. Amended in 1938, 1949.

Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946.

Validity of Sagotra Marriages Act, 1946. 1949 validation.

इस तरह से आप को मालूम होगा कि जब हमारा देश गुलामी की अवस्था में था तब इतने बिल पास किये गये और उस समय जो हमारे पुराने धर्म मार्तण्ड थे, उन्होंने ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। कहाँ था तब उन का धर्माभिमान? पुराने समय में ही सती की प्रथा का अन्त किया गया, इस तरह

की बहुत सी प्रथाएँ, जो हिन्दू जाति के लिये घातक सिद्ध हो रही थीं कानून द्वारा बन्द कर दी गईं। आज जो यह कानून पास किया गया उस में भी समाज के अन्दर जो बुरी बातें पैदा हो गई हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए यह किया जा रहा है।

इस बिल का जो विरोध किया जा रहा है, वह उन लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है जो धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अशिक्षित लोगों द्वारा इस का विरोध नहीं किया जा रहा है। जो लोग धर्म के अंगुष्ठा अपने को कहते हैं वे ही इस का विरोध करते दिखाई देते हैं। यह कितनी दाम्भिक बात है।

इस बिल के सैक्शनों (sections) पर आने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस बिल का जो विरोध हो रहा है उस का यही एक कारण मालूम होता है।

अब मैं उन चार बातों के बारे में कहूँगी जो कि इस बिल में हैं, उन बातों के बारे में, उस के समर्थन में अपने ख्यालात व्यक्त करूँगी। इस बिल में इन चार बातों पर विचार किया जा रहा है। एक सेपरेशन (separation) की बात है, दूसरी परमानेंट एलीमानी (permanent alimony) की बात है, तीसरी डाइवोर्स (divorce) की बात है और चौथी मोनोगैमी (monogamy) की बात है। ये चार बातें हैं।

मोनोगैमी के बारे में आज बीसवीं शताब्दी में ज्यादा कुछ कहना बेकार है लेकिन जो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं वह समझते हैं कि यह जरूरी नहीं है। वह इस के लिये तैयार नहीं हैं। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने जो १३ बातें बताई थीं उन में एक बात यह कहनी थी कि जब एक आदमी को संतान नहीं पैदा होती है तो उस को दूसरा विवाह करने की

इजाजत देनी चाहिये। क्या यह बात ठीक है? मैं उन को यह कहना चाहती हूँ कि यह कोई नहीं कह सकता कि आदमी की नाकाबलियत या गलती की वजह से या स्त्री की नाकाबलियत (inability) या गलती की वजह से बच्चा नहीं होता है। पुराने जमाने की बात अब नहीं चल सकती है।

Way of deciding in olden days was that no issue meant only inability of the women; the barrenness of the women cannot now be taken for granted as a ground for not having an issue. Man also can be equally impotent,

तो अगर आप इस बात पर सोच विचार करेंगे तब आप को समझ में आयेगा कि संतान पैदा करने के लिये, पुत्र पैदा करने के लिये आदमी को दूसरा विवाह करने का हक दिया जाना चाहिये या नहीं। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि आज कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि संतान के रहते हुए भी और एक औरत के रहते हुए भी दूसरा विवाह करते हैं। तो यह जो सहूलियत समाज ने उन को दी है वह ठीक है या नहीं इस को आप सोचें और विचारें।

दूसरी बात परमानेंट एलीमानी यानी भरण-पोषण व्यय की है। मिस्टर गुप्ता ने भी और मिस्टर किशन चन्द ने भी कहा था कि जो डाइवोर्स होगा उस में परमानेंट एलीमानी देना बहुत गैरमुनासिब बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सब वर्गों में नहीं है लेकिन ज्यादातर वर्गों में यह है कि वह अपना खर्च खुद कमा कर नहीं चला सकतीं। अभी वह इस लायक नहीं हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रख सकें। तो ऐसी हालत में जब कि वे अपना खर्च नहीं चला सकती हैं तो उनको स्थिर रूप से भरण-पोषण व्यय देना जरूरी है।



[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.]

अगर स्थिर भरण-पोषण उनको नहीं मिलेगा उन को अपने पिता और अपने पति की सम्पत्ति में से हिस्सा नहीं मिलेगा, उसमें उनका भी हिस्सा नहीं रहेगा तो यह उनके साथ एक बड़ा जुल्म होगा। तो मेरा कहना है कि साधारणतः परमानेंट एलीमानी देना जरूरी है। जब डाइवोर्स के लिये कानूनी कार्यवाही करनी पड़े तो उसमें यह व्यवस्था होना जरूरी है कि जो उसके लिये खर्च होगा वह खर्च पति के खर्च में से दिया जायेगा। कितना दिया जायेगा और क्या दिया जायेगा इस सबकी व्यवस्था तो कोर्ट करेगा। स्त्री को अपना खर्चा चलाने के लिये पति के रुपये में से, पति की सम्पत्ति में से मिलना चाहिये।

Dr. P. C. MITRA:

डा० पी० सी० मित्रा : अगर स्त्री डाइवोर्स करे तो उस को भी पे (pay) करना चाहिये।

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND.

डा० श्री मती सीता परमानन्द : वह सब तो कोर्ट तय करेगा।

कल हमारे एक भाई श्री पांडे जी बोले। उनके लिये मिस्टर कहना अच्छा नहीं लगता ऐसा कल उन्होंने कहा इसलिये मैंने 'श्री' कहा। तो बलिया के जो श्री तारकेश्वर पांडे जी हैं उन्होंने कहा था कि इस बिल के पास होने से स्त्रियों का तलाक भी जल्दी-जल्दी होने लगेगा। मुझे यह ताज्जुब लगता है कि इन सज्जनों का ऐसा ख्याल कैसे होता है। उनको यह भी ख्याल होना चाहिये कि स्त्री का आखिर बच्चों के साथ भी प्रेम होता है, स्त्री का गृह से भी प्रेम होता है। और फिर क्या पति पर नहीं होता? उन सबकी कीमत भी उनके लिये होती है। तो जो यह उनको हक मिलेगा उसका वह इस तरह से फायदा नहीं उठा सकेंगी। जिसको अपने बच्चे रहेंगे, अपना घर द्वार रहेगा उसको चाहे कितनी भी

स्वतंत्रता मिल जाय लेकिन वह अपने घर को राख कर के बिना कारण डाइवोर्स करने नहीं जायेगी। पुरुषों को जो यह लगता है कि स्त्रियां डाइवोर्स करने लग जायेंगी यह गलत है। स्त्री को कितनी भी दिक्कत होगी लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। वह जिस तरह से आज तक रहती आई है उसी तरह से आगे भी रहेगी। कांस्टीट्यूशन (Constitution) में जो हमें बराबरी का हक और समानता का हक दिया गया है उसका यह मतलब नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करेंगे, उदाहरण देखिये। हमने रिजर्व्ड सीट्स (reserved seats) नहीं मांगीं। तो फिर यह कहना कि स्त्री हमारे बराबर नहीं है इसलिए उसको बराबरी का हक नहीं होना चाहिये क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वे उस अधिकार का दुरुपयोग करेंगी, कुछ ठीक नहीं जंचता। उन को यह कैसे लगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यदि उनके दिमाग में यह बात आती है तो फिर मैं यही पूछूंगी कि जब वे जानते हैं कि उन का धर्म ऐसा उच्च है, उनकी संस्कृति ऐसी उच्च है तब वह ऐसी छोटी नीच बात कैसे सोचते हैं? उनकी जो संस्कृति है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। इसलिये क्या स्त्री को अपनी संस्कृति की परवाह नहीं है? मैं तो कहती हूं कि उस को कहीं ज्यादा परवाह है, और उसने ही इस की परवाह

It-is the woman who has preserved the ancient culture; she will always rln it

These women reformers are going to deform the society.

पूछना चाहती हूं क्या वह नहीं जानते कि जब किसी समुदाय के लिये कोई मांग की जाती है तो फिर उस समाज के जो विचारवान लोग हैं वे ही तो उस मांग को उठाते हैं। उनका यह कर्तव्य होता है कि वे लोगों को समझावें और जो मांग है उसका नेतृत्व करें। अगर हमारी बहनों पर को



जुल्म होता है तो न्याय के लिये हमें मांग करनी चाहिये। इसमें औरतों को दोष लगाने की कोई बात नहीं है। जो औरतें समझती नहीं हैं उनको समझाना हमारा कर्तव्य हो जाता है और यह हमारा ही कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारे भाइयों का भी है। मेरा कहना है कि जो समझदार औरतें हैं और भाई हैं वे तलाक नहीं लेते। उनसे जहां तक हो सकता है निर्वाह करते हैं। मुझे मालूम है कि तीन स्टेट्स में, मद्रास, बम्बई और बड़ौदा में, इस तरह का तलाक का कानून है और वहां इसकी इजाजत है लेकिन इतने सालों में भी वहां बहुत से तलाक नहीं हुए हैं और जो तलाक हुये हैं उसका कारण यह है कि लोग दूसरी दूसरी स्टेट से वहां तलाक के लिए गये और तलाक लिया, जहां कि डाइवोर्स बिल नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो बहुत सी ऐसी हैं हैं जिनको कि इस स्वतंत्रता का अर्थ मालूम नहीं है उनको इस बात को समझाना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

मैं कहना चाहती हूं कि आल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस ने इस बारे में बहुत से रेजोल्यूशंस (resolutions) भेजे हैं। अभी अभी उनकी एक मीटिंग हुई और यह चिट्ठी कल ही मेरे हाथ में पड़ी है जिसमें कि उन्होंने लिखा है :

"The All-India Women's Conference representing the women of the country urges upon you to see that the Hindu Code Bills are enacted in the Parliament without undue delay. I am sure you will remember that a large number of your supporters—and, Sir, your supporters here too in the electorates—were women in the last General Elections and their request to you is that by voting for these social reform measures, you will stand by them and see that women get a position of equality in Hindu society."

मैं आपसे पूछती हूं कि आखिर यह क्यों समझा जाता है कि यह स्त्रियों का बिल है। जब सरकार के लोग दूसरे कामों में लगे हुये थे, जब पुरुष लोग दूसरे कामों में लगे हुये थे, तब स्त्रियों ने इस प्रश्न को अपने ऊपर लिया इसके अतिरिक्त यह भी तो नहीं है कि एक गृह में केवल स्त्री ही रहती हो। उसमें पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो यदि एक के लिए कोई काम होता है तो वह सबके लिये होगा। अगर किसी माता पर, या बहन पर, कोई जुल्म होता है तो फिर उसका असर सब पर पड़ता है। उससे घर में डिसहार्मोनी (disharmony) पैदा हो जाती है। शान्ति भंग का वातावरण पैदा हो जाता है। इसलिये यह जो काम होगा उसमें सब को ही फायदा पहुंचेगा। शायद पुरुषों के कुछ हक या गैर हक छीन कर जैसे बहुपत्निकत्व, स्त्रियों के बराबर किये जायेंगे। स्त्रियों को जायदादी एवं हारिर होंगे और फिर कोई भी न कहे कि यह स्त्रियों का बिल है। मगर है यह सब का। मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूं कि जब आप स्वातंत्र्य के लिए लड़े और स्वतंत्रता का स्वाद चखने के लिए आगे बढ़े, तो फिर उसी स्वातंत्र्य से आप स्त्रियों को क्यों वंचित रखना चाहते हैं? मनु ने जो लिखा है कि

“पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने ।  
पुत्रास्तु स्थविरे भावे, नस्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥”

पिता कौमार्यावस्था में, पति यौवन में, और पुत्र वार्धक्य में रक्षा करता है और इस कारण स्त्री कभी भी स्वातंत्र्य की भागीदार नहीं रही। मैं समझती हूं यू० पी० से जो हमारे भाई आते हैं, शायद उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी होगी जिसमें एक स्थान पर कहा गया है :

“शूद्र, गंधार, ढोल, पशु, नारी,  
ये सब ताड़न के अधिकारी

[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.]

उधर दूसरी तरफ मनु कहते हैं "

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

तो ये सब बातें कितनी परस्पर विरोधी मालूम पड़ती हैं। स्मृतियाँ कुल १२ हैं, परन्तु उनमें तीन-चार दूसरे-दूसरे जो टीकाकार हो गये उतकी टीकाएं भी लग गई, तो व एक दूसरे से भिन्न होने के कारण मेल नहीं खातीं। तो इनमें से किसकी धर्म माना जाय। स्मृति में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है :

"श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मनः ।  
एतत् चतुर्विधम् प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् ॥"

मनु और याज्ञवल्क्य दोनों को मैं पूज्य समझती हूँ। मैंने भी प्राचीन शास्त्रों का कुछ अध्ययन किया है। मगर धर्म की इतनी थोथी, इतनी संकुचित व्यवस्था कभी नहीं की गई कि हमेशा एक ही तरह का धर्म रहेगा। अवस्था के अनुसार मनु आदि धर्म बता गये जो पुराने जमाने के लिए उचित था। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जो पहले धर्म था वह आगे भी चल के वैसा ही रहेगा। तब बैलगाड़ी चलती थी आज मोटर चलती है। जो चीज स्टोन एज (stone age) में चल सकती थी वह प्लेटिनम एज (platinum age) में नहीं चलेगी। आज की अवस्था में, आज की इकौनौमिक (economic) स्थिति में स्त्रियों का बिना काम किये निर्वाह नहीं हो सकता। आप अखबार पढ़ते होंगे, विज्ञापनों में लिखा रहता— है : "वांटेड—टु मैरी ए लेडी डाक्टर, वांटेड—टु मैरी एन एम० ए०" (wanted—to marry a lady Dr. ; wanted—to marry an M. A.)। ऐसे पुरुष भी हैं जो औरतों की इकौनौमिक कंडीशन (economic condition) पर निर्भर हो कर रहना चाहते हैं। कितनी परिस्थिति बदल गई है। क्या बैंक्स में क्या टेलीफोन एक्सचेंज

ऑफिस (offices) वगैरह में सभी जगह स्त्रियों को काम करना पड़ता है। बम्बई के एक राशन ऑफिस में ५,००० स्त्रियाँ हैं। कितने कॉम्प्लिकेशन्स (complications) विवाह बन्धन में हो सकते हैं ऐसी हालत में। कानून बनाते समय हमको उसमें से अनाचार, अनीति, इममोरैलिटी (immorality) आदि के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि एक अनाथ स्त्री को अगर अपने बच्चों को लेकर अपने पति के अत्याचार का परिणाम भुगतना पड़े तो क्या वह उस से छुटकारा नहीं चाहेगी? हमारे भाइयों पर ऐसी परिस्थिति नहीं आती इसलिए वह सोचते भी नहीं। आपको सोचना चाहिए कि हमारे देश में तलाक की व्यवस्था कोई नई नहीं है। कहा भी है :

"नष्टे, मृते, प्रव्रजिते, क्लीबे च पतिते पती  
पंचस्त्रापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥"

डाइवोर्स को कल्पना जो पाश्चात्य राष्ट्रों से हमने ली है, उन राष्ट्रों ने भी, जिनका हम झट से नाम ले लेते हैं, जब उनको डाइवोर्स के परिणाम ज्यादा खराब नजर आने लगे तो ब्रटेन में १८५० में डाइवोर्स कमीशन नियुक्त किया और उसके जरिये डाइवोर्स के कायदे और कड़े करने की बात सोच रहे हैं। अमेरिका में जब डाइवोर्स की घटनायें ज्यादा होने लगीं तो वहाँ यह किया गया कि डाइवोर्स के केस आने देने से पहले एक समझौता समिति के सामने स्त्री पुरुषों में पहले समझौता करवाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप भी अनुभव से कानून बदल सकते हैं। कल मेरे भाई, श्री भूपेश गुप्ता ने बताया कि तलाक के लिए दो साल का जो समय रखा गया है वह ज्यादा है परन्तु मेरी सम्मति में वह कोई ज्यादा नहीं है और न तीन साल का ही समय ज्यादा है जो यहाँ रखा गया है। शादी के बाद डाइवोर्स का केस न लाने देने की जो बात रखी गई है वह बहुत सोच के रखी है अपना डाइवोर्स

कानून बहुत सरल सौम्य स्वरूप का रखा गया है ।

मैं उन भाइयों से जो यह समझते हैं कि इस कानून के बनने के लिए पब्लिक में एजिटेशन (agitation) ज्यादा नहीं है, यह कहना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ कि सब बहिनें अभी तक यह समझती गईं कि बगैर किसी झगड़े के या तकलीफ के उनको स्वराज्य के बाद सभी अधिकार मिल जायेंगे । विलायत की सफ़रजिस्ट बहनों की तरह राजकीय अधिकारों के लिए हमारी बहनों को लड़ना नहीं पड़ा । हमारी बहनें इस आश्चर्य में पड़ी हैं कि इतनी सी छोटी बात पर पुरुष समाज में इतना बवंडर क्यों मचा हुआ है ? बहनों का जो हक है वह आप ने ही देना होगा और इसी उम्मीद पर वे बाकी राष्ट्रीय कामों में मदद कर रही हैं । वह आप से स्वायत्त सही बर्ताव की अपेक्षा करती हैं । मगर सरकार को किसी प्रकार के असमंजस में नहीं रहना चाहिए कि आराम से धीरे-धीरे काम करें । मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी जिस प्रगति के साथ यह महत्वपूर्ण बिल चल रहे हैं उस प्रगति से तो यह पार्लियामेंट की लाइफ में नहीं पास हो सकते हैं ।

तो मुझे डर मालूम होता है कि इस बिल का भी वही नतीजा न हो, जैसे हिन्दू कोड बिल का प्रोविजनल पार्लियामेंट में हुआ था । जिन लोगों की इसमें दिलचस्पी है उनको इसके पास होने पर बहुत ही खुशी होगी । इसका कारण यह है कि यह प्रश्न सरोजनी नायडू के जमाने से, १९२७ ई० से विमन्स कांफ़्रेंस द्वारा उठाया गया था । उस समय यह मांग की गई थी कि इसमें सुधार किया जाय और इसके लिए संगठित रूप से काम भी शुरू कर दिया गया था । इस तरह से इस बिल के लिए इतने समय से मेहनत शुरू कर दी गई थी । क्या यह सब मेहनत बेकार जाने वाली है ? मैं चाहती हूँ

कि सरकार इस बिल को अवश्य इस साल पास कराने की व्यवस्था करे । अब मैं दो चार बातें अपने भाइयों की बातों के बारे में कह देना चाहती हूँ । हमारे एक भाई जो कि बलिया से आते हैं, जिनका नाम पांडे जी है, उन्होंने कल इस बिल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही थीं । मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों का तो उत्तर हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी ने, इसी सदन में हिन्दू कोड पर बहस के दौरान में दे दिया था । आपने ऐसी बातें कही थीं जैसे कि सारा हिन्दू धर्म आपके ही ऊपर निर्भर करता है और किसी को उसके हित की परवाह तक नहीं मगर जब प्रधान मंत्री जी ने उनकी बात का उत्तर दिया तो उनको फिर चुप रहना पड़ा । तो इस तरह की बातें कहना उचित नहीं मालूम देता ।

श्री पांडे जी ने कहा था कि इतिहास में स्त्रियों का कहीं प्रथम पद पर नाम नहीं पाया जाता । उन्होंने श्रीमती विजय लक्ष्मी के काम की चर्चा मगर भूल से ज़रूर की थी । बात सही है कि स्त्रियों को जिस हिसाब से थोड़े हक मिले हैं उस हिसाब से अधिकार पद भी नहीं दिये जाते । सो प्रथम पद पर उनके नाम मिलेंगे कैसे ? आखिर इतिहासकार, साहित्यकार पुरुष ही हैं न ! जनता ने कांग्रेस को चुन कर यहां पर भेजा है और यह उसका कर्तव्य हो जाता है कि देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए वह हर एक प्रयत्न करें । यह कांग्रेस की परीक्षा है कि वह कहां तक स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कार्य करती है । कानून के जरिये इस दिशा में पहला कदम उठाना होगा ।

उस हाउस में श्री देश पांडे ने हमारे प्रधान मंत्री के चुनाव के बारे में कहा था कि "क्या कांग्रेस इस चुनाव को हिन्दू कोड को सामने रख कर लड़ेगी या नहीं ?" इस पर

[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.]

प्रधान मंत्री जी ने कहा, हिन्दू कोड बिल के आधार पर ही कांग्रेस चुनाव न लड़ेगी। मगर यह गलत बात है, झूठ है। प्रधान मंत्री ने हिन्दू कोड का प्रश्न कई वक्त चुनाव में उठाया। खुद अपना चुनाव इसी प्रश्न पर वह लड़े। जब कांग्रेस ने अपना यह मोटो मान लिया तो फिर उसके लिए किसी तरह का बहाना पेश करना उचित नहीं मालूम देता। कांग्रेस ने जब "सत्यमेव जयते" का सिद्धान्त स्वीकार किया है तो उसको अपने वचन का भी पालन करना चाहिये।

हमारे बहुत से भाई तो हिन्दू कोड चाहते हैं, सगोत्र भैरज चाहते हैं और सपिण्ड भैरज का विरोध नहीं करते हैं मगर साथ ही यही लोग पुराने ढांचे को भी कायम रखना चाहते हैं, अपने पुराने आइडियाज (ideas) को प्रोटेक्ट (protect) करना चाहते हैं। मगर मैं अपने भाइयों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस बिल में हिन्दू धर्म के नाम पर, हिन्दू धर्म की व्यवस्था पर, किसी तरह से भी आक्षेप नहीं किया गया है। हमारे भाई यहां श्री रामचन्द्र जी के एक पत्नी व्रत पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हिन्दू स्त्री स्वर्ग में भी उसी पति की इच्छा करती है सो वह तलाक कैसे मंजूर करेगी। मगर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं वे चार-चार पत्नियां क्यों करते हैं और फिर क्या स्वर्ग में भी यह चाहते हैं कि वह भी उनके लिए एक के बाद दूसरी पत्नी का इन्तजाम हो जाय। इस तरह की युक्तियां देना और जन्म जन्मान्तर तक अपना ही फायदा सोचना अच्छा मालूम नहीं देता। चैंबरमैन महोदय, आपके पीछे जो तराजू लटक रहा है वह यह बतलाता है कि सब के साथ समान और एक सा व्यवहार किया जाना चाहिये। स्त्री के लिए एक कानून और पुरुष के लिए एक यह कौन तराजू में तौला जायगा? फैंकना पड़ेगा फिर उस तराजू को। आपको सच को सच ही

बताना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह दूसरे के लिए अन्याय होगा।

मुझे यह देख कर खुशी हुई कि कल जिस समय शाम के वक्त इस सदन में इस बिल पर बहस हो रही थी तो और दिन के मुकाबले में उपस्थिति ज्यादा थी। इस बहस में कल जिन महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया उन सब ने इस बिल का समर्थन किया किन्तु विरोध एक ही सदस्य श्री पांडे द्वारा किया गया। कल शाम जब मैंने रेडियो सुना तो श्री पांडे जी का अकेला नाम विरोध में सुनाया गया, इस तरह से उन का नाम बहुत मशहूर हो गया है। एक ही सदस्य ने इसका विरोध किया, इसकी मुझे खुशी हुई।

एक विनती मैं अपने लॉ मिनिस्टर साहब से करना चाहती हूँ और वह यह है कि जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट (step-motherly treatment) इस बिल को मिल रहा है वह नहीं होना चाहिये। अगर यह किया गया तो इससे यह बिल पास नहीं होगा और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए जो सरकार ने जनता को वचन दिया है, वह भी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब का इस बिल के बारे में जो वैयक्तिक मत है उनको उस पर न चल कर गवर्नमेंट की इस बारे में जो पालिसी है उसको ही चलाना चाहिये। जिस तरह से किसी मां को किसी का बच्चा दे दिया जाता है तो वह उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती है जिस तरह से वह अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है ऐसा ही व्यवहार इस बिल के साथ किया जा रहा है। गवर्नमेंट बिल को वक्त निकाल कर दिया जाता है देखा उसको देना चाहिये। इसलिए मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना है कि वह इस बिल को अपने ही बच्चे के समान समझे, अपना ही समझ कर उसको पास कराने की कोशिश करें। हमारी बहनों को इस बिल के पास न होने पर जितनी असुविधा और कष्ट हो रहा है, उसका उनको ज्ञान

होना चाहिये । यह एक सोशल लैजिस्लेशन (social legislation) है और उसको जितनी जल्दी पास किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा । मैंने इस विषय में कई बार लॉ मिनिस्टर साहब से यह कहा कि इस बिल को पास करने के बारे में कोई तारीख घोषित कर दी जानी चाहिये । जब स्पेशल मैरिज बिल सेलेक्ट कमेटी में १०-१५ बैठकों में पास हो सकता है तो इस बिल को भी इससे भी कम समय में सेलेक्ट कमेटी द्वारा पास कराया जा सकता है, क्योंकि यह जरा कम विस्तृत है । इसी कारण मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा था कि इसके लिए कौन सी तारीख निश्चित की गई है और कहा कि अगर उसको एनाउन्स कर दिया जाता तो अच्छा होता मगर उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई भी बात बतलाने से इन्कार कर दिया । जब हम अपनी बहिनों के पास जाते हैं तो वे हमसे पूछती हैं कि तुम इतना काम नहीं करा सकतीं, इस तरह का बिल पास नहीं करा सकतीं, तो तुम्हारा पार्लियामेंट में जाने का फायदा ही क्या है ? तो मैं लॉ मिनिस्टर साहब से विनती करती हूँ कि वे इस सम्बन्ध में कोई न कोई घोषणा करें कि कब यह बिल पास किया जायेगा । मेरी तो यह प्रार्थना है कि अगर यह १९५५ के मध्य तक पास कर दिया जा सके तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी । हमारे विधान में यह है कि अगर कोई बिल एक सदन द्वारा पास कर दिया जाता है और वह छः महीने तक दूसरे सदन द्वारा पास नहीं किया जाता तो वह लैप्स (lapse) हो जाता है । मेरा मुझाव यह है इस बिल को पास करने के लिये दोनों सदन का एक ज्वाइंट सेशन (joint session) किया जाना चाहिये जिस में कि यह बिल पास हो सके और सन् १९५५ के मध्य तक अवश्य ही पास हो जाये । मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जब

विचार पेश करेंगे तो इस बात का आश्वासन दे देंगे । धन्यवाद ।

[For English translation, see Appendix VII, Annexure No. 140.]

Da. W. S. BARLINGAY (Madhya Pradesh):

डा० वा० शि० बार्लिंगे (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ । कल जो भाषण हुये उनमें से जो पांडे साहब का भाषण हुआ उसको सुन कर बहुत लोगों को सचमुच में बड़ा अचरज मालूम हुआ होगा । सच बात तो यह है कि धर्म के नाम पर आज समाज में इतने अन्याय हो रहे हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है ।

SHRI V. K. DHAGE (Hyderabad):

श्री वी० के० धगे (हैदराबाद) : कृपा कर के माइक पर आ कर बोलिये तो सुनाई पड़े । कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come to the mike.

DR. W. S. BARLINGAY:

डा० वा० शि० बार्लिंगे : मैं यह कह रहा था कि धर्म के नाम पर अपने देश में ही नहीं वरन् सारे जगत में इतने सामाजिक और दूसरे प्रकार के अन्याय हो रहे हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है । जिसको हम सामान्यतः धर्म समझते हैं उसके थोड़े बाजू में हम चले गये, थोड़ा कुछ फर्क करने की हमने कोशिश की तो लोग समझते हैं कि यह धर्म के खिलाफ है और अनैतिकता है और यहां तक कहते हैं कि इससे हमारा समाज नष्ट हो जायेगा, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये मेरे मित्र मानव का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे और मानवशास्त्र अर्थात् anthropology पढ़ेंगे तो उनको यह पता चलेगा कि जगत में कोई भी ऐसा रीति रिवाज नहीं है जो कि किसी न किसी समाज में

[Dr. W. S. Barlingay.]

मौजूद न हो। एक सामान्य बात में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिन्दू समाज में यदि एक स्त्री बहुपति करे तो वह एक बहुत भद्दी सी चीज़ मालूम होगी। यहां तो केवल विवाह विच्छेद की जब बात चलती है तो इतना विरोध होता है और यदि कोई यह विधेयक ले आये कि यदि एक स्त्री ५० भर्ता करना चाहे तो कर सकती है, तो अगर कोई इस तरह का विधेयक इस हाउस में मंजूर कराना चाहे तो मैं समझता हूँ कि यहां एक रेवोल्यूशन पैदा हो जायेगा; लेकिन वस्तुतः बात यह है कि यदि आप अफ्रीका में चले जायें तो आपको मिलेगा कि वहां यह आम बात है। इसी तरह आप बर्मा में चले जायें तो आप पायेंगे कि वहां विवाह का जो बन्धन है वह बहुत ही शिथिल है, यह बात शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगी। इसी तरह से जापान में भी है। तो मैं ये सब बातें आपके सामने इसलिये रख रहा हूँ कि संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई रिवाज नहीं है जो किसी न किसी समाज में आज भी मौजूद न हो और ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से समाज नष्ट या भ्रष्ट हो गया है। इससे केवल समाज का रूप रंग बदलता है; बस इतनी सी ही बात है। दूसरी चीज़ जो हमेशा कही जाती है वह यह है कि हमारे वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसके यह सब खिलाफ है। इस सम्बन्ध में मैं उनको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि मीमांसकों ने जो कुछ धर्म पुस्तकों में लिख दिया है “चोदना लक्षणार्था धर्मः” जो कुछ हिदायतें वेदों में दे दी हैं, केवल वही धर्म मूल है। ऐसी बात नहीं है कि मीमांसकों ने जो-जो बातें बताई हैं उन सब को हम मानते ही हैं। केवल एक ही बात में आपको बताऊँ जो कि शंकराचार्य ने कहा है : “अभ्युदय निश्चेयस हेतुर्यः सधर्मः”। मैं इस के उल्टा कहूंगा कि

वह धर्म नहीं होता है कि जिससे “अभ्युदय निश्चेयस सिद्धिः” नहीं हो सके। तो मेरा कहना है कि अगर आपको इस बिल के बारे में ठीक से विचार करना है, मगज़ में ठीक से सोचना है, तो वस्तुतः आपको यह सोचना चाहिये कि यह जो बिल है उसकी वजह से हमारे समाज की उन्नति होने वाली है या नहीं होने वाली है। यही वास्तविक प्रश्न है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय कि आज जो समाज में अन्याय चल रहे हैं वे समाप्त होने चाहियें तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी तनिक भी संशय नहीं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये। मेरी तो सचमुच में शिकायत यह है कि इस बिल को इतना विलम्ब करने के बाद लाया गया है।

अब इसके बारे में थोड़ी सी सूचनायें हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिल पास होने वाला है। और यह जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये मोशन (motion) है वह भी पास होगा और यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायेगा। इस में मुझे तनिक भी संशय नहीं है। इसलिये मैं कुछ सूचनायें आपके सामने रखना चाहता हूँ।

इस बिल में जो क्लॉज ३ है, उसके सबक्लाज़ ‘जी’ में “डिग्रीज़ आफ़ प्राहिबिटेड रिलेशनशिप” “degrees of prohibited relationship” का जो फ़्रेज़ है उसकी व्याख्या की गई है और इसमें आखीर का शब्द है, “or two sisters” अर्थात् “children of two brothers or two sisters” तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो शब्द है उसकी अर्थात् “or two sisters” की कोई जरूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि ब्रदर अपनी सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, उसी तरह से सिस्टर अपने ब्रदर से शादी नहीं कर सकती है। परन्तु उनके बच्चे prohibited degrees में ही माने गये हैं। यदि एक भाई का लड़का



एक बहन की लड़की से शादी कर सकता है तो फिर दो बहनों के लड़के तो कर ही सकेंगे इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो "or two sisters" की शब्द योजना है उसकी खास जरूरत नहीं है। इसलिये मेरा खयाल है कि यह मैं आपके सामने सूचना के तौर पर रख दूँ ताकि इसका विचार सेलेक्ट कमेटी में हो जाय।

दूसरी बात जो मुझे सुझती है वह क्लाज ५ के बारे में है। क्लाज ५ के सबक्लाज ३ और सबक्लाज ६ में जो वयो मर्यादा मानी गई है वह १५ वर्ष की और १६ वर्ष की है। कल मैंने सुना कि अग्निभोज साहब ने कहा कि इस उम्र को बढ़ा कर १८ वर्ष करना चाहिये। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसका कारण यह है कि आज इस देश की ही नहीं वरन् पूरे जगत की लोकसंख्या बढ़ रही है। तो यदि आप १५ से १८ या १६ से १८, इन दो तीन वर्षों को मैरिटल रिलेशनशिप (marital relationship) के लिये छोड़ दें तो उससे मैं समझता हूँ कि हमारी एक बड़ी भारी समस्या के हल हो जाने की संभावना है। इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि अगर आप आदमी के बारे में वयो मर्यादा १८ रख रहे हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि स्त्रियों के बारे में वयोमर्यादा १५ या १६ रखें। इसका मुझे कोई कारण नहीं दीखता। मैं समझता हूँ कि आखिर जितनी अक्ल आदमी की होती है उतनी ही अक्ल स्त्री को भी होती है।

SHRIMATI SAVITRY NIGAM:  
(Uttar Pradesh):

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश) :  
स्त्री को ज्यादा अक्ल होती है।

DR. W. S. BARLINGAY:

डा० वा० शि० बार्लिंगे : स्त्री को ज्यादा अक्ल होती है, यह भी मैं नहीं मानता

और यह भी नहीं मानता कि आदमी को ज्यादा अक्ल होती है। मैं तो समझता हूँ कि दोनों को बराबर ही अक्ल होती है। तो जो आप ने आदमी के बारे में १८ वर्ष की वयो मर्यादा रखी है उसका क्या कारण है ?

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND:

डा० श्रीमती सीता परमानन्द : स्त्रियों को अक्ल ज्यादा नहीं होती बल्कि उनको मैच्योरिटी (maturity) जल्दी आती है।

DR. W. S. BARLINGAY:

डा० वा० शि० बार्लिंगे : ठीक है मैच्योरिटी तो एक फिजिकल (physical) बात है, मैं तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक (mental characteristic) के बारे में बोल रहा हूँ। यह जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वह स्त्रियों में पहले पैदा होती है और पुरुषों में बाद में पैदा होती है ऐसा मैं नहीं मानता।

4 P.M.

दूसरी बात जो मुझे आपके सामने रखनी है वह यह है कि क्लाज १० (सी) पर दिया हुआ है कि :

"has, for a period of not less than one year immediately preceding the presentation of the petition, been suffering from leprosy or venereal disease;"

इसमें मैं केवल इतना ही सुझाव देना चाहता हूँ कि इसके आगे "नोट कौन्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी पेटिशनर" (not contracted from the petitioner) ये शब्द होने चाहिए। मेरा कहना है कि अगर लेप्रोसी या वेनीरियल डिजीज (venereal disease) का कारण स्पाऊज (spouse)—पुरुष या स्त्री—हो, तो मैं समझता हूँ कि जुडीशल सेपरेशन नहीं होना चाहिए।

एक चीज क्लाज १३ के बारे में मुझे कहनी है। मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता



DR. W. S. BARLINGAY:

रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह श्लोक सब को ठीक तरह से मालूम हो है कि :

“नष्टे मृते प्रव्रजिते, क्लृप्ते च पतिते पतौ ।  
वचस्वर्गपुत्रसु नारिणां पतिरन्यो विधीयते ॥”

तो उसमें जब पुरुष क्लृप्त होता है तो वह भी जुडीशल सेपरेशन या डिवोर्स का एक कारण बताया गया है। नपुंसकता, यानी स्त्रीत्व नष्ट होना या पुरुषत्व नष्ट होना, इसके बारे में मैं यह समझता हूँ कि यदि स्त्री का स्त्रीत्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाय या पुरुष का पुरुषत्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाय, तो यह भी जुडीशल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए कारण होना चाहिए। इसलिए इस क्लॉज में एक सब-क्लॉज आठवां होना चाहिए जिसमें इस चीज का उल्लेख हो।

तो अध्यक्ष महोदय, मुझे तो केवल यही चीज आपके सामने रखनी थी। मैं समझता हूँ कि यह जो कोड बनने जा रहा है इसमें कोई चीज सचमुच में ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में आप कह सकें कि यह क्रान्तिकारी है। बहुत सी बातें तो इसमें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों ने पहले ही बना के रखी हैं और इसमें कोई भी बात क्रान्तिकारी नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि फिर भी क्यों इतनी पंचायत होती है और अपोजिशन होता है।

इसलिए इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[For English translation, see Appendix VII, Annexure No. 141.]

PROF. N. R. MALKANI (Nominated): Sir, I beg to support the Bill. There is no need to have any difference of opinion as to whether we should have a Hindu Code of personal law or not. As a matter of fact, when we talk of Manu, I think we know him as being the father of a code, and that is why people always quote Manu. But, today Hindu Society is in a chaotic condi-

tion because it is not governed by a code; it is governed by a jungle of customs and shifty case law. Then we have had many commentaries on Manu's code and the Mitakshara, the Dayabhaga and other schools of law. I feel that when we have achieved independence, when the whole country is integrated, we must have a codified law. It is a fact, it is an obvious thing, that we had a good system of law some four thousand years ago. That is not good today, when society is so complicated. So, we are going about having some kind of code but bit by bit. Why? The whole body of law, personal law, is so large and complicated that we cannot understand it; we cannot follow it; so we have to go in parts. When we begin to go slowly, some people just raise the cry, "But we want the whole just now". I do not understand this. If we go bit by bit, steadily and rapidly and continuously, it is as good as the whole. But if we go slowly and dilatorily and with hesitation, then the future will not be clear before us and there is bound to be discontent and misunderstanding.

Sir, an objection was raised that this Bill does not apply to all and that it does not apply to the Muslims. It is easy to find out defects here and there and say: "Oh, it is not a code for it does not apply to Muslims." To my mind, Sir, it is a great advance that it applies to all Hindus, all classes of people—Jains, Buddhists, Sikhs and all those who call themselves Hindus, and for all these, the Code is valid. A little time back, Sir, there was no question of inter-caste marriage. Now, it is there. So, if you include the Sikh, you ask: "Why not the Muslim?". Have them too. But, first of all, earn the privilege and prestige of asking Muslims to agree. Until yesterday, two castes could not marry. Today, we ask, "Why are the Muslims allowed to have four wives?" and so on. We should remember one thing. There is a Muslim neighbour State just on the other side of the border; there are thousands and thousands of Hindus living there.

When they enact a legislation for their people, the Muslims, they don't begin to ask: what about the Hindus? If they ask so, would you take it? May I ask, in what spirit you would take it? Therefore, go slow; try to put your own house in order; have a clean life; make your house clean and then ask the others also to come in. You talk about Muslims but they are also not proud of their polygamy. There are a number of nations—Lebanon, Syria, Egypt, etc. where there is this legal polygamy. But, they are in fact, by custom monogamous; they want to be and continue to be monogamous; but they have not the courage to pass the law prohibiting polygamy; but at heart they are monogamous. Such is the current of public opinion, such is life even in western countries.

So, Sir, we must have a code. It should apply to all Hindus. It does not matter if this community or that community is not included. The Muslims will follow; the Christians and the Jews are with us and the Parsis are with us. I do feel, Sir, that life is changing very rapidly and we cannot stand still. But what do we mean by "life is changing"? The relation between man and man is changing and it has changed during the course of centuries. In the past, it was master and slave; later on, it was baron and serf; still later, it was employer and [employee; and, today, now, we are all comrades. What a beautiful word. In Russia, they call each other 'comrade'—*sathi-sathi, bhai-bhai*. Change has come between man and man, in humanity. Change has also come, so far as the relationship of man and woman is concerned. Thousands and millions of years back, when nature was crude red in tooth and claw, man and woman were just 'animals'. We progressed and we came to the hunting stage; then, the woman was the drudge; she was the beast which carried loads; she was that kind of animal. Again, we progressed and came to the patriarchal stage and polygamous marriage. There were a number of wives with a large number of children when a

number of sons was valued as much as a number of cattle, there were a number of women who were breeding animals. It is only today, during the last two hundred years, that woman is called the 'beautiful woman'. This is a novel, new-fangled, idea; it is not classic, it is not medieval. She has become a beautiful animal, i.e., a useless animal. There is a great writer Somerset Maugham who says that today there are three duties of a modern woman; duty to be beautiful, to dress well and not to contradict. I hope modern women are not satisfied with all these pretty duties. They want a change; they want a change for the better; they do not want to be merely beautiful. Today, what the women want is equality of rights, as well as equality of duties. They want equality of both rights and duties; in fact, they want equal citizenship. Today, we are having in India political rights equal for both; economic rights almost equal for both; legal rights equal for both. But the moment we come nearer home to the domestic sphere, then we say, 'No, not so far I will put you down', and so on. It is too much for us, this kind of equality for women; we cannot bear it. To me, it appears that this kind of putting down cannot succeed any longer. It is because women have become conscious; they are thirsting for their emancipation all over the world, and they must have equality, not only in the political, economic and legal sphere; but they want the same equality to prevail in the domestic sphere. It is a good thing. But the best is to see to it that that equality is given willingly in an understanding manner, and in such a manner as not to shake up the family.

Sir, so far as this Bill before the House is concerned, I have carefully studied it. I studied the various opinions and have also classified them. I find that not a single woman, not a single women's organisation has protested; they all have said that the Bill is progressive, but want to make it more progressive. There are lawyers, cautious, legal-minded, but also progres-

[Prof. N. R. Malkani.] sive. I find that High Court Judges with acute legal acumen—except one or two, have supported the Bill and suggested improvements. Taken as a group, legal minded people have said: "Progress slowly, uniformly but surely." In all this, I find only one kind of people who have protested against this measure. They are the so-called "religious men", heads of religious organisations. Not one of them I could respect, and call 'here is a noble man', 'here is a great man' 'his opinion is worthwhile considering in this case'. No. They are the so-called heads of 'Maths' and 'pathashalas'. May I ask, has religion come to all this? Has our morality come to this that a whole society is thus condemned by heads of institutions. This advance is admitted by the times, by the urge of the age, and should it be stopped by heads of Maths and heads of religious institutions?

Sir, I am not going into the details of the Bill. The Committee is there and it will look into them. There are two parts of the Bill mainly, one about monogamy and the other about divorce. About monogamy, Sir, it is no use discussing it, it is there; it has been there; it is a fact even among Hindus; it is a fact today in Hindus even of the upper class, even of the richer class. The richer class today is not able to keep even two wives, what to talk of ten. And you and I, I think, can hardly keep half a wife. We are not able to keep even one full wife. It is not possible to do so. Life is so hard.

SHRI T. PANDE (Uttar Pradesh): I want to know the meaning of 'full wife' and 'half wife'.

PROF. N. R. MALKANI: We want our women not only to be wives but also to be help-meets to earn for the family while formerly they were merely wives for our homes. *{Interruption.}* Now we want our wives to earn as the men do. So, Sir, so far as mono-

gamy is concerned, it is a fact. Well,, we want to put it into law. Always first comes opinion and then follows law. The opinion is there; the fact is there; and the law must follow. Already there is monogamy. It is there established by fact. We only want to take away from the man, that old brute, the power of threat to marry a second wife. We want to take from, him the threat of saying "Do this or

....." Otherwise monogamy is a settled fact which nothing is going to unsettle. There is another serious objection. It is said: "Marriage is a sacrament, it is a great sacrament according to *Shastras*." What is a sacrament? Will you kindly tell me why it is a sacrament? I begin to analyse it. I also am married; everyone of us is probably married; when I think of the sacredness of marriage all elements of sacredness slowly slip away from me. When I married, I did not know my wife; I had never seen her before. We were simply married blind, and there were a lot of people making a hell of noise and feasting merrily. Now what was the sacramental character about it? Yes, this was a sacrament that we founded and established a family for upbringing children. Without that life would be imperfect, not full. We founded a family, which was a great thing for family is the very beginning of society, of civilisation. But the family then and the family today are different. We all the time forget that the family 4,000 years ago is not the family of today. The family then was the club; the family was then the State; the family then was the school; it was also the temple. What was it not? And especially the joint family. It was everything. And today what is it? It is a place for my children. Without them family would be nothing. A club or hotel would be better. And then, when the world is too much with us, when the world is too harsh and hostile to us, we go to the family and feel secure there. Good or bad, your wife is with you; good or bad, your children are with you. You may be a thorough scoundrel, but your wife will tell you "Oh, you are a very fine husband; that other fellow is a rascal; that fellow is a vagabond; every-

body knows that that fellow is the greatest vagabond." So, Sir, to a man coming home thoroughly discontented, thoroughly discredited, thoroughly dis-reputed, the wife says "You are a fine man". So the family has become a refuge from the outer and distrustful society. But, Sir, what is sacredness of a wife within the family? It is the mother not the wife that makes the family holy. We have made the name of mother holy; we have made even the name of the father next to the mother holy. The family is holy because of the mother, because of the father, because of the sister and because of the brother. And the very word 'maa' in various shades and various sounds, the very word 'Bahaen' is so sweet, is so sacred. That is sacrament, not the wife, not the pati and *putni*. That is a common place thing. But, mother and father or brother and sister are really spiritual terms. And the family is to be maintained for them. That is sacramental, not the wife, not the husband.

Sir, you must also, while talking of sacrament, bear this in mind that when you say that marriage is a sacrament, do you and I believe in it? Do you and I think that it is something holy? Do you? If you do please get up in your seat and say "I believe in marriage as a sacrament." Will you kindly say so?

SHRI T. PANDE: The Hindu society believes, Sir.

PROF. N. R. MALKANI: Do you yourself believe it to be so?

SHRI T. PANDE: You too believe.

PROF. N. R. MALKANI: I do not believe. I believe that my father and my mother and my brother and my sister are holy, and they were given to me in the family based on marriage. Do you believe that because you have a wife, it is something sacramental, the marriage is something sacramental? Do you believe?

SHRI C. G. MISRA (Madhya Pradesh) : I request my friend to under-

stand the meaning of the word 'sacrament'.

PROF. N. R. MALKANI: I am concerned, Sir, with my feelings and with my sentiments about what is a sacrament. We do not believe it. But what we do believe is that marriage is a holy chain for the women, and it is a holy property so far as men are concerned. Sir, there were various kinds of marriages in the past and you call them all sacramental. They were all according to dharma shastras; yet some of them were very unholy. And yet do you say that every type of marriage was holy? Do you think polygamy is holy? Do you dare think so? Do you think that sacrament is;

“जहां पड़े वहां तलाक, जहां मड़े वहीं शादी”

“जहां पड़े वहां तलाक”

is untrue, but it is true

that जहां मड़े वहीं शादी ।

You call that very holy. We have been indulging in a number of customs about marriage which were extremely unsacred, unholy and immoral and have dubbed them all as very holy and took the name of *Vedas*. We should be ashamed of it. It is high time that we saw things in their true perspective. You say "After all it is declared sacred". But declared by whom? Declared sacramental by whom? Not by anybody else, but by *Smritis*. What was a *Smriti*? You call it a dharma shastra. What was it after all? It was a piece of secular law. It was a simple codification of customs. There was nothing sacred about that at all. They were mere *Smritis*; they were mere customs prevalent and remembered and customs prevalent can also be forgotten; what is remembered can be forgotten. Why can't you forget these *Smritis*? As a matter of fact, aren't you aware that in actual life and in actual fact the common man is governed by a lot of custom and a little of religion? By what are you and I governed? By a little of law and a lot of greed, I should say. I know that you consider this little piece of legislation as harm-

[Prof. N. R. Malkani.]

less. It is just because the Succession Act is following and the inheritance law is coming, that you are worried.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You had better come to the Bill.

PROF. N. R. MALKANI: I am talking on the Bill. We are not really governed by religion but by interests. We do not believe in any sacrament about marriage. Actual marriage is an act of greed and high dowries.

AN HON. MEMBER: Who says that?

PROF. N. R. MALKANI: I say that. I am a very humble man but a truth-ful man. I believe, Sir, with regard to divorce there may be two opinions but I do believe that this Bill has introduced a number of small necessary reforms. For instance the Bill applies to all Hindus, to all castes. That is a very good thing. It applies even to Buddhists, etc. It introduces monogamy, it raises the age of marriage to 15 and 18, you find registration introduced to prove marriage and so on. If you look into the Bill superficially, you may have two opinions about divorce but you cannot have two opinions about the fact that this Bill will introduce a number of reforms which the Hindu society needs and needs very badly. This is going to make for progress and, I hope, for very rapid and real progress at "lhat. Sir, thank you.

SHRI D. NARAYAN (Bombay):

श्री डी० नारायण (बम्बई) : श्रीमान् उपसभापति जी, इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं प्रारम्भ में ही एक बात कह देना चाहता हूँ कि अच्छा होता यदि यह बिल शुरू में ही पास हो जाता। मुझे खुशी इस बात की है कि बम्बई राज्य ने जो बातें छः वर्ष पहले की उनका अनुकरण आज यहां सारे देश के लिए किया जा रहा है। १९४६ में बम्बई राज्य में प्रथम द्विभार्या प्रतिबंधक बिल पास हुआ, १९४७ में डाइवोर्स बिल पास हुआ और खुशी की बात है कि जिस बात

को आप आज करने जा रहे हैं—रजिस्ट्रेशन आफ़ मैरिज (registration of marriages) उस सम्बन्ध में भी बिल इस साल पास हो गया है। आज आप जिन बातों को यहां सोच रहे हैं उनसे कुछ यह नज़र नहीं आता कि हम पीछे जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। इस विधेयक में दो बातें खास करके हैं—एक द्विभार्या प्रतिबंधक विधान है और दूसरी तलाक की इजाज़त है। इस विधेयक में जो द्विभार्या प्रतिबंध दाखिल किया गया है, उससे जहां तक मैं सोचता हूँ कोई विचार-वान मनुष्य किसी तरह का मतभेद नहीं रख सकता। आज दुनिया के सभी प्रगतिशील देशों में इस तथ्य को मान लिया गया है। एक मुस्लिम मज़हब को छोड़ कर शायद जितने माने हुए बड़े धर्म हैं उन सब धर्मों में मौनोगेमी को अति उच्च स्थान दिया गया है। मुझे विश्वास है कि मुसलमान लोग भी इस बारे में प्रगतिशील राष्ट्रों और मनुष्यों का अनुसरण किये बग़ैर नहीं रहेंगे। एक जमाना था जब पैगम्बर मोहम्मद साहब पैदा हुए। उस जमाने की कोई ज़रूरत थी अरबिस्तान को और उस जमाने में उन्होंने जो लिखा उसी को आज भी मानना मेरी समझ में कोई ठीक मालूम नहीं देता। कारण यह है कि पुरुष और स्त्री के जो सम्बन्ध हैं, ये तो काल, स्थल और परिस्थिति से बंधे हुये होते हैं। स्थल के अनुसार आज भी आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में विवाह व्यवस्था अलग अलग दिखाई देती है। काल के अनुसार भी हमने यह देखा है कि विवाह व्यवस्था में आज तक बदलाव होता रहा है। दो, चार, पांच या ६ सौ वर्ष पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था आज भी है; यह कहना बिल्कुल ग़लत है। वह बदलती रहेगी और बदलनी चाहिए क्योंकि मनुष्य प्रगतिशील होने के कारण बदलता है और इसलिए उसकी परिस्थिति भी बदलनी चाहिए, उसके विचार भी बदलने चाहियें। आज भी देखा जाता है कि कई ऐसे देश हैं

जहां एक स्त्री अनेक पति करती है। तिब्बत में, अफ्रीका में ऐसा होता है। ऐसे भी देश हैं जहां एक पुरुष अनेक पत्नियां करता है। परन्तु आप यह नहीं कहते कि जहां ये नियम हैं वहां की जनता गिरी हुई है। गिरना या चढ़ना यह भी परिस्थिति के अनुसार ही हुआ करता है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ हमारे देश में एक जो बात बतलाई जाती है वही श्रेष्ठ है यह एक फिजूल का अहंभाव है। जब कभी कोई सुधार की बात आती है तो धर्मशास्त्र को पहले आगे लाया जाता है। परन्तु धर्मशास्त्र भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बदल नहीं सकती। आज तक धर्म-शास्त्र बदलते आये हैं और बदलते हैं। जिन स्मृतियों की कल हमारे पांडे जी ने दुहाई दी उन स्मृतियों को अगर आप देखें तो पहले यह देखिये कि १०० से ऊपर उनकी संख्या है, कहा जाता है ११८ है। और ये ११८ स्मृतियां अलग अलग काल में जब जब आवश्यकता मालूम दी उस उस वक्त के लिए लिखी गईं।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि ये जो स्मृतियां हैं—हालांकि मनु के नाम से आप इन्हें पुकारते हैं—इन्हें अलग अलग ऋषियों और विचारकों ने लिखा है। अगर इन स्मृतियों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल में भी तलाक को मान लिया गया था। मैं पांडे जी को इस सम्बन्ध में कुछ बातें सुनाना चाहता हूं :

"Divorce was not unknown to ancient law-givers. Manu, Yajna-valkya, Vashistha, Baudhayana and Narada, all lay down that under certain circumstances divorce is allowed to a Hindu wife. Kautilya says that the marriage tie should be broken if there is mutual hatred. Smriti Chandrika and Katyayana also favour divorce."

"The Code, realising this, has 2 C.S.D.

regulated the procedure and has reduced the number of grounds to a minimum."

यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि :

'A proper reading of the original texts of Narada and Katyayana will convince any one that the ancient Hindu law provided for dissolution of Marriage by divorce. It went even further. A woman was allowed to remarry if she did not know for a period of 3 years the whereabouts\* of her husband, who has gone on a journey."

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सन् १९४२ के आंदोलन के समय मैं नज़रबन्द था। अगर मैं जेल से छूट कर आने पर यह देखता कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे तलाक दे दी तो मेरी क्या अवस्था होती ?

SHRI RAMA RAO (Andhra): Your wife knew you were in jail and would come back.

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : पांडे जी की बातों का जबाब मैं आखिर में दूंगा, अभी जो कुछ मुझे कहना है, कहने दीजिये, उसमें किसी प्रकार की रुकावट न करें। मुझे जो शास्त्र और स्मृति की बात कहनी है, वह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि कोई किताब दो चार हजार वर्ष पहिले लिखी गई हो, उसी कारण वह मेरे लिए आज बन्धन बन जाय। मैं तो यह मानने वाला हूं कि धर्म और शास्त्रों में जो बातें बताई हैं वह मनुष्य की भलाई के लिए बताई गयी हैं, मनुष्य धर्म शास्त्र के लिए पैदा नहीं हुआ, धर्म शास्त्र मनुष्य के लिए पैदा किया गया। मनुष्य अपनी बेहतरी के लिए चाहे तो धर्म शास्त्र बदल सकता है और अपनी बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छा धर्मशास्त्र

[Shri D. Narayan.]

पैदा कर सकता है और मनुष्य ने पैदा भी किया है। दुनिया में जो बड़े २ सतपुरुष पैदा हुए, उन्होंने धर्मशास्त्र पैदा किये, महात्मा गांधी जी ने भी एक बड़ा धर्मशास्त्र पैदा किया। इसलिए मैं यह कहने को तैयार हूँ कि धर्मशास्त्र में हजार दो हजार वर्ष पूर्व कोई बात लिखी गई हो, इसलिए आज मेरे लिए बन्धनकारक है, मेरी बुद्धि के लिए बन्धनकारक है, यह बात मैं नहीं मानता। अगर कोई सुधार मनुष्य के लिए आवश्यक और कल्याणकारी हो तो मैं उस सुधार को हर वक्त मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसी तरह से आज तक मानव की प्रगति होती आई है और जब जब सुधारक पैदा हुए उनका विरोध करने के लिए जनता में स्वार्थी लोग भी पैदा होते रहे हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन में कई सनातनी विरोधी लोगों ने उनका विरोध किया, यह बात तो सब को ही विदित है। आज भी हमारे इस देश में मन्दिर प्रवेश के लिए पूज्य विनोबा जी का विरोध किया जा रहा है और उनको डंडों से मारा जा रहा है। इस तरह स्वार्थी लोगों ने धर्म की सुरक्षा की आड़ में, और यह मान कर कि हमें यह करना जरूरी था इसलिए हमने सन्त को डंडे से मारा और अपनी गलती को कबूल नहीं किया। अपना दोष जल्दी नहीं दिखाई देता, दोष दिखाई देना यह प्रगतिशील मनुष्य की एक कसौटी है।

सवाल केवल एक है और वह यह है कि हम अपनी बहनों को समान अधिकार देना चाहते हैं या नहीं, हम अपनी बहनों के साथ न्याय करना चाहते हैं या नहीं, जो चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं, वह उनके लिए भी करना चाहते हैं या नहीं। हम यहां से जब बाहर जाते हैं और दुनिया से कहते हैं कि हमने

सारी बहनों को मताधिकार दे दिया है, आज तक दुनिया में यह बात नहीं हुई। परन्तु बहुत सी बातें हैं जो दुनिया में होती रहती हैं और हमारे यहां अभी तक नहीं हुई हैं।

AN HON. MEMBER:

एक माननीय सदस्य : मैं आपसे पूछता हूँ.....

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : मैं आपको भी जवाब दूंगा। सवाल तो यह है कि हम अपनी बहनों के साथ न्याय करना चाहते हैं या नहीं। आप यदि न्याय करना चाहते हैं तो मोनोगैमी को तो फौरन मान लेना चाहिये। अगर आप मानते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि आप इसका विरोध न करें।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : सब चीजों का विरोध नहीं करते।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : यह तो खुशी की बात है। दूसरी तलाक की बात लीजिये। मैं आपसे पूछता चाहता हूँ कि जिन जातियों में तलाक का रिवाज नहीं है, वे जातियां हिन्दुस्तान में कौनसी हैं, एक ब्राह्मण जाति है और दूसरी वैश्य जाति है।

AN HON. MEMBER:

एक माननीय सदस्य : क्षत्रिय जाति भी है।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : क्षत्रिय जाति में सब प्रान्तों में तलाक का रिवाज नहीं है सो बात नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो एक प्रान्त में मानी जाती हैं और दूसरे प्रान्त वाले नहीं मानते। बंगाल में कायस्थों को शूद्र कहा जाता है। और यहां पर राजपूत कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण जाति और खास कर बनिये, जिनके पास काफी पैसा है उनमें पैसे का इन्फ्लुएंस



(inheritance) का सवाल पैदा हो जाता है कि किस को आगे मिलेगा और किस को नहीं मिलेगा ।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : ब्राह्मणों के पास पैसा नहीं होता, उनके पास तो विद्या होती है । हमारे पास विद्या है, यू० पी० में विद्या है ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : माफ कीजिये, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास कितनी विद्या है, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ ।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : मैं जवाहरलाल जी को पेश कर सकता हूँ ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : आपके जवाहरलाल जी तो तलाक चाहते हैं, इस बिल को चाहते हैं मगर आप इसका विरोध करते हैं ।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : ऋषियों में हमेशा मुकाबला रहा है ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : तो आप भी ऋषि हैं । सवाल तो यह है कि आप बहनों के साथ न्याय करना चाहते हैं या नहीं, उनको समान अधिकार देना चाहते हैं या नहीं, आप उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहते हैं या नहीं ।

अब आप तलाक का सवाल ले लीजिये, ८० प्रतिशत हिन्दू जाति में तलाक मौजूद है । अब रहा २० प्रतिशत जब यह बिल पास हो जायेगा तो उनमें से भी यह रुकावट दूर हो जायेगी । बम्बई प्रान्त में डाइवोर्स बिल ७ वर्ष पूर्व पास हो चुका है फिर भी कोई डाइवोर्स की तादाद बढ़ती नहीं दिखाई देती ।

बहुत कम डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि आप बहनों से पूछिये, भाइयों से पूछिये, डाइवोर्स को वे हर हालत में आवश्यक नहीं समझते कि उसको करना ही चाहिये, जब मजबूरियां पैदा हो जाती हैं तब ही स्त्री और पुरुष आपस में डाइवोर्स करते हैं । डाइवोर्स कोई यूँही नहीं मांगता । डाइवोर्स किसी कारण जब आवश्यक बन जाता है तब पुरुष अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है परन्तु स्त्री को पूरा करने के लिए अक्सर नहीं मिलता है । डाइवोर्स कानून का पुरुष विरोध करता है मगर प्रत्यक्ष रूप में डाइवोर्स करता रहता है । जब स्त्री असाध्य बीमार हो जाती है, उसे लैप्रोसी हो जाती है या पागल हो जाती है, तो जबरन पीहर भेज दी जाती है या उसे छोड़ दिया जाता है ।

AN HON. MEMBER:

एक माननीय सदस्य : कभी नहीं ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : आप कहें, परन्तु मैंने देखा है । जिस समय शादी होती है या शादी हो जाने के बाद दहेज के लिए पैसा ऐंठने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा की जाती है । अक्सर यह देखने में आया है कि दहेज के लिए कन्याएं कुआंरी ही रह जाती हैं, कई लड़कियों के विवाह रुक जाते हैं, आत्म हत्याएँ होती हैं ।

AN HON. MEMBER:

एक माननीय सदस्य : यहां तो ऐसा नहीं होता है ।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : कान्य कुब्जों में क्या हो रहा है ? बंगाल में देखिये । आपके यहां की बात मैं क्या कहूँ । मैं तो अपने यहां की बात कह रहा हूँ । अगर किसी लड़के को अपने ससुर से पैसा खींचना होता है तो वह लड़की पर दोष लगा देता है और दो चार वर्ष के

[Shri D. Narayan.]

लिए उसको अपने घर भेज देना है, जब उसको पैसा मिल जाता है तो उसे वापस ले जाता है। दो चार साल बाद फिर वह पैसा खींचने के लिए लड़की पर दोष लगा देता है, इस तरह की बात आजकल हमारे समाज के अन्दर हो रही है, आप उनका विरोध नहीं करते, आप उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। तलाक का फायदा तो पुरुष वर्ग बिना कानून के ही उठा रहा है अगर अन्याय हो रहा है तो बहनों के ऊपर ही हो रहा है और किसी के ऊपर नहीं हो रहा है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि डाइवोर्स लेना गलती है तो आप गलती करने का ही मौका दीजिये। जब वे गलती करेंगी तो अपने आप ही सुधर जायेंगी। राष्ट्र-पिता बापू ने स्वातन्त्र्य की जो व्याख्या की थी उसमें कहा था कि "right to err" यानी गलती करने का अधिकार होता चाहिये। तो मेरा कहना है कि गलती करने का अधिकार आप अपनी बहनों को भी दीजिये। आप जो सैंकड़ों वर्षों से गलती करते चले आये हैं उसका अधिकार उनको भी दीजिये। आप जो अपनी गलती को सैंकड़ों वर्ष तक नहीं समझ पाये हैं उसको वे बहुत जल्दी समझ जायेंगी।

आज क्या है। आज जो हमारी समाज व्यवस्था है वह पितृ प्रधान है। कहते हैं : मातृ देवोभव, पितृ देवोभव, परन्तु व्यवहार में मातृ देवोभव की जगह नहीं है। व्यवहार में तो सिर्फ पितृ देवोभव की बात है। माता का नाम नहीं चलता है, नाम चलता है पिता का। मैं तो अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि उनको यह अधिकार भांगना चाहिये कि पिता का नाम ही न चले बल्कि माता का भी नाम चले। उनको तो यह अधिकार भांगना चाहिये कि लड़के के आगे माता का नाम लिखा जाये, पिता का नाम नहीं। जब यह समानता का

प्रश्न पुरुषों के सामने आयेगा तो फिर पुरुष सोचने लगेंगे कि यह क्या बात है।

कल श्रीमान् पांडे जी ने कहा.....

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar):

श्री बी० के० पी० सिंहा (बिहार) :  
बलिया के पांडे जी कहिये।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : जी हां, कल बलिया के श्री पांडे जी ने भाषण दिया। मैं समझता था कि आपने बहुत से धर्म शास्त्रों को देखा होगा और शायद देखा भी अवश्य हो। मैं तो कोई धर्म शास्त्र का पंडित हूँ नहीं। मैं तो अपनी बुद्धि पर ही आधार करता हूँ। तो मैंने कल सुना कि जो दस अवतार हो गये हैं उनमें कोई स्त्री नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि कोई स्त्री नहीं हुई, यानी कोई स्त्री पशु पक्षी नहीं बनी, यानी उन्होंने तो यह अच्छा ही सोचा कि पशु बनने से वह वंचित रहें लेकिन अगर पांडे जी दुनिया की तबारीख को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस देश की ही नहीं वरन सारा दुनिया की जो उन्नति हुई है वह स्त्रियों की वजह से ही हुई है, माताओं की वजह से ही हुई है। आप सारी दुनिया के साहित्य को देखिये, संस्कृति को देखिये, धर्म साहित्य को देखिये, अंग्रेजी साहित्य को देखिये, रोमन साहित्य को देखिये, हर एक साहित्य में आपको मिलेगा कि स्त्रियों ने ही सर्वोत्तम बातें पैदा की हैं, जो कुछ विशेष उच्चकोटि की बातें दुनिया में पैदा हुई हैं वे सब स्त्रियों की ही की हुई हैं। आप रामायण को देखिये, रामायण की कीमत सिर्फ राम की वजह से ही नहीं है। रामायण की कीमत सीता की वजह से ही है, या यों कहिये कि राम का नाम सीता की वजह से ही लिया जाता है। आप राम सीता नहीं कहते बल्कि सीता राम कहते हैं। इस तरह से आप

राघवेश्वर कहते हैं, श्याम राधा नहीं कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि राम की महत्ता सीता की वजह से ही है, उसी तरह से कृष्ण की महत्ता राधा की वजह से ही है। इसके अलावा मेरा कहना है कि पांडे जी रोज स्नान करते होंगे, तो स्नान करते हुये वह भी गंगा, यमुना, गोदावरी के नाम ही लेते होंगे। उस वक्त वह कभी किसी पुरुष का नाम नहीं लेते, ब्रह्मपुत्रों का नाम नहीं लेते, वह अपनी बहनों का और माताओं का ही नाम लेते हैं। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि दुनिया की जो जो अच्छी चीजें हैं, जो जो अच्छी भावनायें हैं, जो जो अच्छे पुरुषार्थ हैं, उनके लिये जो शब्द हैं वे सब स्त्री लिंग ही हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, सम्यता, माया, करुणा, ममता, मैं संस्कृति आदि जितने शब्द हैं सब स्त्रीलिंग में ही हैं चाहे आप संस्कृत में देखें, चाहे अंग्रेजी देखें, सब में ही ये शब्द स्त्रीलिंग में ही मिलेंगे। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से कहीं ऊंचा है। पुरुष स्त्री से ही शक्ति प्राप्त करता है।

तो आपने देखा कि स्त्रियों की क्या महत्ता है। पांडे जी को अभी तक उनकी महत्ता नजर नहीं आ रही है। उन्होंने तो मेरे ख्याल में यह सब इसलिये ही कह दिया कि उनको विरोध करना था।

SHRI GOVINDA REDDY (Mysore):

श्री गोविन्द रेड्डी (मैसूर) : पांडे जी भी तो आदि शक्ति को मानते हैं।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : तो उन्होंने विरोध के लिये ही कह दिया कि स्त्री तो पुरुष के अधीन हमेशा से रही है और रहेगी। आपने यह कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह गलत विचार है। न तो पुरुष स्त्री के अधीन रह सकता है और न स्त्री को ही पुरुष के अधीन

रहना चाहिये। दोनों बराबरी के नाते से रहें। क्योंकि जब गाड़ी के दो पहिये बराबर होते हैं तभी गाड़ी चलती है, नहीं तो चल नहीं सकती।

आखिर मैं मुझे एक बात अपनी बहनों से भी कहनी है। मैंने कल अपनी बहन श्रीमती निगम का भाषण सुना और भी बहनों का सुना। आज श्रीमती सीता परमानन्द का भाषण सुना। परन्तु उन भाषणों में मुझे एक इनफीरियोरिटी कम्प्लेक्स (inferiority complex) दिखाई दिया, एक न्यून रंग दिखाई दिया। मैं कहता हूँ कि जब तक आप इस इनफीरियोरिटी कम्प्लेक्स को, इस न्यून रंग को अपने हृदय से निकालेंगी नहीं तब तक आप समान अधिकार पा नहीं सकतीं। आप यह समझती हों कि पुरुष वर्ग परोपकार बुद्धि से आपको कोई अधिकार दे देगा तो यह गलत है। पुरुष वर्ग सच्ची भावनाओं से या न्याय भावना से आपके अधिकारों को कबूल करने वाला नहीं है।

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: It is not inferiority complex.

AN HON. MEMBER:

एक माननीय सदस्य : आप भी तो पुरुष ही हैं।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : हाँ मैं भी मानता हूँ कि जब मौका आयेंगा तो मैं भी कुछ इसी तरह करूंगा क्योंकि जो अपने पास है उसको मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता। इसलिये बहनों को उनसे वह छीनना होगा। उनके लिये लड़ना होगा और यह जो न्यून रंग है, इनफीरियोरिटी कम्प्लेक्स है उसको छोड़ना होगा।

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND:

डा० श्रीमती सीता परमानन्द : हम सत्यता का आश्रय लेंगी।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : मैं मानता हूँ कि बहिनों में इतनी शक्ति है कि वह चाहेंगी तो अपने अधिकार लेकर रहेंगी क्योंकि मैं यह भी मानता हूँ कि स्त्रियों में पुरुषों से अधिक शक्ति है। जो विकासशील और प्रगतिशील समाज और वर्ग होता है उस समाज और वर्ग में स्त्रियों में अधिक शक्ति हुआ ही करती है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है कि अहिंसा की आदि देवता बहिन ही हैं। और यदि समाज में जीवन का नियम अहिंसा होगा तो श्रेष्ठ दर्जा बहिनों को मिलना ही चाहिये और मिल कर रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप तलवार से नहीं लड़ सकती हैं और न आप कभी लड़ी हैं और न तलवार से लड़ना आपको कभी पसन्द आया है। परन्तु अहिंसा से लड़ने का तरीका आपको याद है। उसी तरीके से आप अभी तक लड़ती रही हैं और घर में भी आप रोज इस तरीके से सड़ती ही रहती हैं। अहिंसा यानी शुद्ध प्रेम। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अहिंसा को अपनायें और अहिंसा से ही पुरुष वर्ग के साथ लड़ाई लड़ कर अपने अधिकार लें, तभी आपको अधिकार प्राप्त होगा।

एक बात और कहनी है। हमारे जो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट भाई हैं, और तमाम लोग जो प्रगतिशील कहलाते हैं वे वर्ग विग्रह की बातें करते हैं।

SHRI V. K. DHAGE:

श्री बी० के० धगे : आप भी ऐसा ही कर रहे हैं।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : हाँ, किसी हद तक मैं भी कर रहा हूँ, यह मैं मानता हूँ।

SHRI B. K. P. SINHA:

श्री बी० के० पी० सिन्हा : प्रगतिशील तो हम लोग हैं।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : प्रगतिशील हम भी हैं और वे भी हैं, परन्तु वे विग्रह की बातें करते हैं। मेरा कहना है कि अब जमाना आ रहा है कि यह वर्ग-विषमता खत्म होने वाली है, और यह सेक्स-विषमता का झगड़ा आगे चलने वाला है। वह जो सेक्स-विषमता है इसको मिटना ही होगा क्योंकि जब तक आप सेक्स-विषमता नहीं मिटायेंगे तब तक आप घर में और देश में शान्ति प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि यह स्त्री पुरुष का सम्बन्ध और विवाह और तलाक कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर आप हंस कर विचार करें और इस प्रश्न को हंस कर छोड़ दें। यह तो जीवन मरण की समस्या है क्योंकि एक दूसरे का जीवन मरण इसी पर आधारित है। अतः इस विषय पर हमें बहुत गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये।

मेरी एक आखरी प्रार्थना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN:

उपसभापति महोदय : यह आपकी तीसरी आखरी बात है।

SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : सिर्फ एक मिनट और दें।

मुझे ला मिनिस्टर साहब से यह कहना है कि आप जो सेलेक्ट कमेटी कायम करने जा रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके लिये मेरी एक खास सिफारिश है कि आप अपनी सेलेक्ट कमेटी में पुरुषों को रखें ही नहीं। सिर्फ बहिनों की ही सेलेक्ट कमेटी बना दी जाय क्योंकि उनको माफूम है कि वह क्या चाहती हैं, वे जानती हैं कि उनको क्या

चाहिये और क्या नहीं चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि उनको ही कहने दिया जाय कि वे क्या चाहती हैं।

;SHRI M. S. RANAWAT (Rajasthan) :

श्री एम० एस० राणावत (राजस्थान) : पार्लियामेंट ही सिर्फ बहनों की क्यों न बना दी जाय।

.SHRI D. NARAYAN:

श्री डी० नारायण : हां, यह भी अच्छी बात है। तो मेरा कहना है कि उनमें ही इस बारे में पूछा जाय कि उनको क्या दुःख है,

The wearer alone knows where the shoe pinches.

कि उनको क्या दुःख है।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : मैं पूछना चाहता हूँ कि ला मिनिस्टर उसके मेम्बर होंगे या नहीं।

SHRI D. NARAYAN :

श्री डी० नारायण : अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि हर एक नियम के लिये अपवाद

There is no rule without an exception. Law Minister may be an exception on that committee.

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हंसने की बात नहीं है। भले ही हमारे ला मिनिस्टर साहब ने हर जगह हसबैंड (husband) और वाइफ (wife) जैसे शब्द लगाये हुये हैं परन्तु वहां हसबैंड का कोई अर्थ नहीं क्योंकि हसबैंड का तो उसके अधिकार मिले ही हुये हैं, सिर्फ वाइफ का सवाल है, जिसे अपना अधिकार लेना है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप सेलेक्ट कमेटी में ज्यादा से ज्यादा बहनों को लें और पुरुषों को कम से कम लें।

[For English translation, see Appendix VII, Annexure No. 14<J.]

5 P. M.

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : उप-सभापति महोदय, इस बिल पर बोलते हुए धार्मिक सिद्धान्तों पर मैंने दो प्रकार के विरोधी पक्षों के भाषण सुने। एक पक्ष धर्म का जो साधारण अर्थ किया जाता है उसको सत्य न मान कर स्वतन्त्रता के आधार पर इस बिल का समर्थन करता है। दूसरे पक्ष का प्रतिनिधि मैं श्री पांडे जी को मानता हूँ जिन्होंने सनातन धर्म को आधार मान कर बिल पर अपने विचार प्रकट किये। मेरा उन भाषणों को सुन कर के यह अनुमान हुआ है कि जो महाशय धर्म के नाम पर वाद विवाद करते हैं वे जिस धर्म के आधार पर आज के हिन्दू समाज को चलना चाहिए उसको छोड़ कर चलने की चेष्टा करते हैं। धर्म के विषय में मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज पुनः दोहराता हूँ कि धर्म के विषय में हमारे यहां का जितना भी साहित्य है—उस में से चार वेद, छः शास्त्र, उपनिषद्, स्मृतियां और गीता को ले लीजिए—जितने भी ये धार्मिक ग्रन्थ हमारे यहां हैं वे भिन्न भिन्न समय में प्रकाशित हुये हैं। स्मृतियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार और सिद्धान्त हैं, समय के अनुकूल ये स्मृतियां बनाई गई हैं तो भी उनमें एक ही मूल विचारधारा चली आई है। मैं मुख्यतः वेद की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ, मैं जानता हूँ कि वेद शब्द का अर्थ भी बहुत से लोग नहीं समझते, उसको उन्होंने देखा तक नहीं होगा, पढ़ने की बात तो दूर है। वेद के नाम पर आज समाज में जो धर्म प्रचलित है उसको देख कर के कई लोग वेदों का तिरस्कार करते हैं, यह बड़े दुःख की बात है। जो महाशय सनातन धर्म हैं और धार्मिक सिद्धान्तों पर बात करना चाहते हैं या तो वे उनकी चर्चा ही करना छोड़ दें और यदि वे धार्मिक सिद्धान्तों पर विचार करना चाहते हैं तो उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि उनकी धार्मिक विचारधारा के पोषक

[Shri C. G. Misra.]

अन्य पुरुष भी हुये हैं या नहीं, या उनके पास कोई प्रामाणिक ग्रन्थ है या नहीं। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जो महाशय मानते हैं कि परमात्मा ने धर्म का प्रकाश किया उनको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके लिए वेद ही एक मुख्य प्रामाणिक पुस्तक है। मुझे इस बात पर संतोष है कि लोकमान्य तिलक के प्रयासों के कारण और बाद में गांधी जी द्वारा गीता का प्रचार बढ़ता गया और कांग्रेस के अन्दर बहुत से महाशय ऐसे हैं जो शायद प्रति दिन गीता का स्वाध्याय करते हैं। परन्तु जब उस गीता के आधारभूत सिद्धान्तों को छोड़ कर के वे बहस करते हैं तो आश्चर्य होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि गीता में स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि—

ओ३म् तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः।  
ब्राह्मणास्ते न वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥  
अर्थात् ब्रह्म (परमात्मा) का निर्देश “ओ३म् तत्सत्” है और अति पुरातन काल से प्रीहिस्टोरिक टाइम्स (prehistoric times) से चला आ रहा है। उसी ने अत्यन्त प्राचीन काल में (पुरा) ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इन तीनों की उत्पत्ति की। पुनः गीता में लिखा हुआ है :—

तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ।  
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं, कर्म कर्तुमिहा हसि ॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए शास्त्रों का प्रमाण है और उनका अध्ययन करके उनके विधान के अनुसार आचरण करो। फिर आगे वे कहते हैं :—

“यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः।  
न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥”

जो शास्त्र की विधि को छोड़ कर काम करता है वह न सुख प्राप्त कर सकता है और न सिद्धि और न उसको मुक्ति मिल सकती है। यदि ये शब्द भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में

कहे हैं और जिन्हें लोग मानते हैं। तो धर्म के अर्थ करने में ये शब्द मार्ग-दर्शक हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATE VIOLET ALVA) in the Chair.]

अब शास्त्र शब्द के अर्थ पर विचार करना है। शास्त्र शब्द का अर्थ स्वामी शंकराचार्य जी ने वेदान्त शास्त्र के तीसरे अध्याय के सूत्र के अपने भाष्य में किया है। “शास्त्र” शब्द का अर्थ किया है। वेदान्त शास्त्र जो वेदों के आधार पर बना है उसमें एक सूत्र है :

“शास्त्रं योनित्वात्” (वेदान्त शास्त्र १/३)। परमात्मा ने शास्त्र को उत्पन्न किया। शंकराचार्य जी कहते हैं कि—“ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेक विद्यास्थानो-पबृहत्तस्य प्रदीप वदार्थं द्योतिनः योनिः कारणं ब्रह्म। सारांश इसका यह है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये जो चार वेद हैं ये शास्त्र कहे जाते हैं और इन्हें ब्रह्म—परमात्मा ने उत्पन्न किया। इस प्रकार के शास्त्र को ब्रह्म (परमात्मा) को छोड़ कर के कोई दूसरा उत्पन्न नहीं कर सकता। यह सब मुझे इसलिये कहना पड़ा कि सनातन धर्म या हिन्दू धर्म के आधार पर इस बिल पर कुछ सज्जन विचार कर रहे हैं। जो महाशय अपने को सनातन धर्मावलम्बी कहते हैं उनसे मेरा यह कहना है कि वे वेद को तो देखें, वेदों में सनातन धर्म की परिभाषा आई है। उसमें एक मंत्र है:

“अग्निहि देवान् अमृतां दुवस्यत्,  
यथा धर्माणि सन्ता न दूदुषत् ॥”

वैदिक पद्धति को मानने से सनातन धर्म नष्ट नहीं होगा यह भी कड़ दिया गया। चारों वेदों में सनातन धर्म के विषय में इस प्रकार का एक ही मंत्र आया है और किसी दूसरे स्थान में सनातन धर्म का ऐसा वर्णन नहीं आया है। मैं वेदों का स्वाध्याय रात दिन करता रहता हूँ। लगभग २५ वर्षों से मैं इस

काम को कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने स्वाध्याय किया है उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ ।

इसलिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म में कोई अन्तर नहीं है । पुरातन धर्म या सनातन धर्म वही है जो पुरा-काल में परमात्मा ने प्रकाशित किया । (*interruptions.*) जो लोग परमात्मा में और धर्म के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं, उनसे ही मैं शास्त्रों की बात करता हूँ, और जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने के लिए भी मैं तैयार हूँ । यदि आप परमात्मा को नहीं मानते तो वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस (*scientific basis*) पर बात कीजिये । यह बात निश्चित हो गई कि वेद शास्त्र हमारे लिए प्रमाण (*authority*) सनातन धर्म के विषय में रहेंगे, जैसे कि आपके गवर्नमेंट के लौज (*laws*) हैं, वह शासन सम्बन्धी विषयों में माननीय हैं और यदि आप उन लौज को नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा, वैसे ही सनातन धर्म वालों के लिए वेद का महत्व रहेगा । इन वेदों के अतिरिक्त ६ शास्त्र और हैं । ये छः शास्त्र एक स्वर से वेदों का अनुसरण करते हैं और इस बात को दोहराते हैं कि वेदों और शास्त्रों का आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । उसके बाद उपनिषद् और गीता को लीजिये । मैं इन पुस्तकों को इस लिए लेता हूँ कि जो इन पुस्तकों में वेदानुकूल है वह स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है, यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि हम लोगों ने भगवान् श्रीकृष्ण की गीता के वैदिक सिद्धान्तों को भुला दिया है, पर इस में जो भी वैदिक सिद्धान्त है, उस पर किसी को मतभेद नहीं हो सकता । पहले जितने धुरन्धर ऋषि और विद्वान् होते थे उनको वेद पंथों का पूरा ज्ञान होता था मगर आज हालत यह है कि जिसको यूनीवर्सिटी की

उपाधि मिल जाती है उसको आज विद्वान् कहा जाता है । आप स्वयं समझ सकते हैं कि प्राचीन ऋषियों की विद्वता की तुलना किससे की जा सकती है । आज तो उनके ऊपर नाना प्रकार से आक्षेप किये जाते हैं । इसका विशेष कारण यह है कि हमारे जो आजकल के पौराणिक सनातन धर्मी लोग हैं उन्होंने वेदों का अर्थ सही रूप में समझने की कोशिश ही नहीं की और इसी कारण वे जनता के सामने भी उनको यथार्थ रूप से पेश न कर सके हैं । इसमें दोष हमारे अंग्रेजी विद्वानों का नहीं है । अंग्रेजी के द्वारा आज हमको जो वेद पढ़ाये जाते हैं उसमें विशेष बात यह है कि हर बात में "तर्क" की बात आ जाती है यह कोई बुरी बात नहीं है । "तर्क" वैदिक शास्त्रों में भी है । तर्क के विषय में ऋषियों ने भी कहा है कि तर्क कोई बुरी बात नहीं है । आजकल हम लोगों को अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा दी जाती है, हमको उचित रूप से वैदिक शास्त्रों का विषय पढ़ाया नहीं जाता है, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान नहीं समझाया जाता । अगर हम लोग इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वेदों और शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात करें तो इसमें हम लोगों का दोष नहीं है । वरन् शिक्षा पद्धति तथा शिक्षकों का दोष है । इस विषय में अंग्रेजी विद्वानों ने जो बातें लिखी हैं और जो हमारे आर्षग्रन्थों में हैं, उनमें आपस में बहुत मतभेद चला आ रहा है ।

वेद शास्त्रों और उपनिषदों का इस संबंध में जो कुछ भी आर्ष-साहित्य है उसको कोई नहीं देखता है । मेरी प्रार्थना यह है कि विवाह बिल के सम्बन्ध में जो स्थिति हम लोगों के सामने है, उस पर हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक कोई निर्णय करना चाहिये ।

आज इस विवाह बिल पर जो इतनी लम्बी बहस चल पड़ी है, उसी के विषय पर मैं कुछ कहना चाहूँगा । हमारे अंग्रेजी विद्वानों



[Shri C. G. Misra.]

की एक बड़ी विचित्र दशा हो रही है। कुछ अंग्रेजी के विद्वानों ने वेदों के विषय में ऐसी असत्य बातें कह दी हैं जिनका कि कहीं भी पता नहीं लगता है। कई लोगों ने यह कहा है कि ऋग्वेदिक काल में विवाह ही नहीं होते थे, मगर इसकी सत्यता के बारे में उन्होंने कोई भी वैदिक प्रमाण नहीं उपस्थित किया। यह सब क्यों हुआ, इसका भी कारण है। हमारे जो अंग्रेजी के विद्वान् हैं उन्होंने अपने वैदिक ऋषियों के साहित्य द्वारा इस विषय का अध्ययन नहीं किया और अंग्रेजी भाषा द्वारा विचारों को जनता के सम्मुख उपस्थित किया। हमारे जो विद्वान् यूनिवर्सिटीजों से निकलते हैं, वे भी इसी साहित्य को पढ़ कर इसी तरह का ज्ञान लेकर निकलते हैं। छः वैदिक शास्त्रों में एक सांख्य शास्त्र है जिसके कर्ता कपिल जी थे। परन्तु विश्व विद्यालयों में उनके स्थान में ईश्वरचन्द्र कुत कारिकाएं पढ़ाई जाती हैं जिसका परिणाम यह है कि अंग्रेजी जानने वाले विद्वान् इस शास्त्र को नास्तिक मानने लगे हैं। यह शास्त्र ईश्वर तथा वेद का अनुयायी है।

एक बार इलाहाबाद के कालेज में, मैंने विद्यार्थियों के सामने भाषण करते हुए इस विषय पर काफी प्रकाश डाला कि किस तरह से उनको इस विषय पर अध्ययन करना चाहिये। अंग्रेजी में इस विषय पर जो कुछ भी साहित्य विद्यमान है, वह अंग्रेजी विद्वानों द्वारा बनाया गया है जिनको धर्मशास्त्र और वेदों के सिद्धान्तों का बहुत कम ज्ञान था। मेरी प्रार्थना यह है कि चूंकि इस विषय पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ है इसलिए कम से कम हम लोगों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो वैदिक साहित्य के विद्वान् हैं, जिन्होंने इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन किया हुआ है, उनके द्वारा इस विषय का अध्ययन करना चाहिये। और फिर किसी उचित निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

विवाह सम्बन्धी धर्म के विषय में मैंने बहुत से भाषण सुने। श्री मलकानी जी ने यह प्रश्न किया कि वैदिक साहित्य में विवाह सेक्रामेन्ट (sacrament) क्यों माना गया है? इसका उत्तर यह है कि विवाह उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के लिये एक पवित्र संस्कार है। हमारी संतान बिना पवित्र संस्कारों के मनुष्य नहीं हो सकती है। मनुष्य के बच्चे को अगर भेंड़िये के बच्चे के साथ पालने के लिए रख दिया जायेगा तो वह उसी के समान बोली बोलेगा तथा उसी प्रकार से आचरण करेगा। इस तरह के बहुत से दृष्टांत हमको मिलते आये हैं। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि पहले मनुष्य कैसे हुआ, तथा उसकी क्या स्थिति थी। उसको भाषा का ज्ञान परमात्मा की ओर से प्राप्त हुआ। इस तरह की बातें हमको अनेकों ग्रन्थों से मालूम होती हैं।

जो ईसाई धर्म ग्रन्थ हैं उनसे यह पता चलता है कि परमात्मा ने आदम और हौवा को इस संसार में पहिले उत्पन्न किया था तब और आपस में बातचीत करने के लिए उनको भाषा का ज्ञान दिया था जिससे कि वे अपने विचार प्रकट कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। हिन्दू जाति के प्राचीन साहित्य में आपको इन सब बातों पर प्रकाश मिलेगा। इसलिए सेक्रामेन्ट (sacrament) का जो अर्थ है वह यह है कि विवाह संस्था एक पवित्र कार्य है और इसलिए वह बड़ी पवित्र संस्था है। मनुष्य जो भी सन्तान उत्पन्न करे वह इसी भावना से उत्पन्न करे कि अच्छी से अच्छी सन्तान हो। मनुष्य को स्त्री के साथ सहवास नशे और अपने आनन्द के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सन्तान की इच्छा से करना चाहिये। अगर बुरी लालसा से सहवास किया गया तो सन्तान भी अच्छी न होगी। आनन्द के उद्देश्य से सहवास नहीं करना चाहिये। हमारे यहां पुराने समय में जो उच्चकोटि

के विद्वान् होते थे, जब वे स्त्री के साथ सहवास करते थे तो एक निश्चित समय में और निश्चित उद्देश्य के लिए करते थे, वे आनन्द के उद्देश्य से नहीं करते थे, इसमें आनन्द का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है।

वह तो आजकल आनन्द का विषय हो गया है, इसलिये आपकी सन्तान भी उसी तरह की होगी। मेरा कहना है कि मनुष्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार है और इसके द्वारा मनुष्य को और स्त्री को पवित्र रह कर संतान उत्पन्न करनी चाहिये। अतएव मनुष्य समाज में विवाह संस्कार सैक्रामेंटल इन्स्टीट्यूशन (sacramental institution) यानी धार्मिक संस्था है। यदि स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो वह पवित्र रूप में करते हैं। उसके लिये कुछ प्रतिज्ञायें होती हैं जो कि दोनों करते हैं। आप लोगों का विवाह भी हुआ होगा, तो आपको भी पंडित जी ने बताया होगा कि ये प्रतिज्ञायें हैं। आम तौर पर आजकल लोग इसको समझते नहीं हैं और जो पंडित विवाह कराते हैं वे भी उसके उद्देश्य को ठीक से समझाते नहीं हैं, विवाह के समय पुरुष स्त्री से कहता है कि तुझ स्त्री को मैं अपनी गृहणी, धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरा कर्तव्य होगा कि तुझे बहुत सुखपूर्वक रखूँ, तेरी उत्तम धार्मिक बातों को मैं मानूँगा और तू मेरी बातों को मानेगी और हम दोनों पवित्रता के साथ गृहस्थी बनायेंगे और सन्तान उत्पन्न करेंगे और सारे समाज की सेवा करेंगे। तो गृहस्थी एक सैक्रेड (sacred) इन्स्टीट्यूशन है तथा विवाह उसका लिए एक पवित्र संस्कार है जिसके द्वारा हर एक को विवाह करना चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरा तो यह कहना है कि साधारणतया हर एक को विवाह करना चाहिये क्योंकि यदि आप विवाह कर के जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका जीवन निश्चित तथा सफल होगा वरना जो

लोग अविवाहित रहते हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं कि उनका जीवन कितना अनिश्चित होता है। जो विवाह करके नियमित जीवन के आनन्द का भोग करते हैं उनका जीवन बड़ा पवित्र और सुखमय होता है। यह एक सैक्रामेंटल इन्स्टीट्यूशन है कि एक पुरुष और एक स्त्री पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहें, और साथ रह कर पवित्र जीवन व्यतीत करें और सुख का भोग करें। उनका परस्पर उन्हीं से पति-पत्नी सम्बन्ध हो, और किसी से नहीं और उन्हीं से संतान उत्पन्न हो। सब स्त्री और पुरुष नियम से रहें, कोई बिना नियम न रहे।

विवाह के पश्चात् यह है कि गृहस्थी बना कर रहें। जब वे गृहस्थी बना कर नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? गृहस्थी के आधार पर ही सारे काम चलते हैं। अगर गृहस्थी नहीं होगी तो फिर दुनिया का काम उत्तम प्रकार से नहीं चलेगा, लोग क्या करेंगे, कहां से विद्यालय वनेंगे, कहां से उसमें विद्यार्थी आयेंगे? जब आप गृहस्थी बना कर रहेंगे तभी नगर और ग्राम होंगे, और दूसरी दूसरी सुन्दर वस्तुयें होंगी। अगर पुरुष और स्त्रियां रात रात घूमते रहें और चाहे जहां अपना व्यवहार कर लें तो उस जीवन में क्या आनन्द है? क्या इस तरह के जीवन से किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है? जो एक एक स्त्री और एक एक पुरुष की शादी होती है वह सैक्रामेंटल चीज है। उसका एक सैक्रामेंटल आसपेक्ट (sacramental aspect) है। जैसे कि हम यहां कौंसिल में आते हैं तो यहां आ कर सभापति जी के सामने प्रतिज्ञायें करते हैं कि हम यहां रह कर सच्चाई के साथ काम करेंगे। तो यह भी एक सैक्रामेंटल बात है। मनुष्य जो भी काम करता है उसका एक उद्देश्य होता है, हर एक अच्छे काम में एक तरह का पवित्र उद्देश्य होता है। जैसे कि यदि आप ध्यान दे कर देखें तो हम लोगों

[Shri C. G. Misra.]

का यह कर्तव्य है कि हम लोग जब यहां आते हैं तो यहां नियमानुसार बैठें, यही नहीं कि दस्तखत करके चले जायें। जो काम हम करें वह हमें सच्चाई से करना चाहिये। अगर यहां नहीं भी बोलना है तो कम से कम जो कुछ यहां कहा जाता है उसको मुनें ही। हर एक अच्छी बात का एक पवित्र रूप होता है जिसका कि हम अनुभव नहीं करते हैं। अतः आप यह निश्चय समझें कि विवाह एक पवित्र संस्था है।

विवाह का विषय तो एक बहुत लम्बा चौड़ा विषय है। हमारे सनातन धर्म की मूल पुस्तक वेद में इस विषय में बहुत कुछ सिखा हुआ है। ऋग्वेद के १०वें मंडल में एक सूक्त इस विषय में है। मैं यहां वेद की पुस्तक ही ले आया हूं। ऋग्वेद के १०वें मंडल में ८१ वां सूक्त पूरा का पूरा इस विषय में है। इस सूक्त में ४७ मंत्र हैं और इनमें विवाह के विषय में सारा वर्णन आया है कि किस प्रकार विवाह करना चाहिये, किन अवस्थाओं में करना चाहिये और विवाहित पुरुषों के क्या कर्तव्य होने चाहियें। इसमें बताया गया है कि जो पुरुष विवाह करता है उसकी सोम संज्ञा होनी चाहिये। जब पुरुष तथा स्त्री का वीर्य एवं रज पुष्ट हो जाय तब विवाह करना चाहिये। जो निर्बल मनुष्य हैं उसको विवाह नहीं करना चाहिये क्योंकि एक निर्बल पुरुष स्त्री को सुखी नहीं रख सकता। तो २४ वर्ष से पहले विवाह करने की पुरुष को वेद के अनुसार आज्ञा नहीं है और इसी तरह १६ वर्ष से पहले स्त्री को आज्ञा नहीं है। २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद विवाह करना चाहिये। यों तो ३६ वर्ष और ४८ वर्ष का भी ब्रह्मचर्य व्रत होता है, स्वामी दयानन्द ने ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उसको पूरा करने के बाद सन्यास ले लिया। आज की तरह के लोग उस समय नहीं होते थे जैसे कि आजकल पांच

पांच फीट के जवान इधर उधर जाबू बने धूमते फिरते हैं, जिनको कि समय पर न भूख लगती है और जो न समय पर खाता खा सकते हैं। उनके जीवन में कितनी अव्यवस्था है, इसको आप अच्छी तरह जान सकते हैं। उनके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि आजकल जिस तरह से विवाह होते हैं उसी तरह से माता पिता के संयोग से सन्तानें भी होती हैं। जैसे माता पिता होंगे उसी तरह के बच्चे भी पैदा होंगे। यह दूसरी बात है कि हम लोग अब इन बातों का ख्याल नहीं करते हैं और उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसी तरह की हमारी आदत पड़ गई है। तो जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिसने वीर्य की रक्षा की है, जो कि धन का उपार्जन कर सकता है, और अपनी स्त्री को सुखपूर्वक रख सकता है तथा उसके साथ सदा सम्पत्ता का व्यवहार कर सकता है, आदि आदि बातें जिस पुरुष में हों वही विवाह के योग्य है। जिन पुरुषों में ये बातें न हों वे विवाह के योग्य नहीं हैं और उनको विवाह नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार स्त्रियों को भी योग्य बनना चाहिये।

वेद में जन्म से जाति पात का कोई प्रश्न नहीं है। उसमें यह बात नहीं आई है कि जो जन्मना ब्राह्मण है वह ब्राह्मण से ही विवाह करे या जो जन्मना क्षत्रिय है वह क्षत्रिय से विवाह करे। वैदिक काल में ऐसी कोई बात नहीं थी। वैदिक काल में सम्पूर्ण आर्य जाति एक थी। उस समय जन्म से वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं थी। वैदिक काल में जन्म के आधार पर कोई वर्ण व्यवस्था निश्चित नहीं की जाती थी। यह उसी तरह है कि आप जन्म के आधार पर ही डाक्टर नहीं बन सकते, जन्म से ही वकील नहीं बन सकते। वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण वह है जो वेद को जाने। जो वेद के द्वारा परमात्मा को जाने

वही ब्राह्मण है। ये सब बातें मंत्रों में हैं कि ब्राह्मण कौन कहलाया जा सकता है। यह नहीं कि जिनके घर में १०, १० पीढ़ी से किसी ने वेद को देखा तक नहीं, पढ़ता तो दरकिनार, वह भी ब्राह्मण कहलाने लगे। यह तो वैसा ही है कि मेरा पिता डाक्टर तो मैं भी डाक्टर, चाहे मैंने डाक्टरी पढ़ी हो या न पढ़ी हो। ऐसी स्थिति में तो वह डाक्टर मरीज को मार ही डालेगा। तो वे लोग जो कि ब्राह्मण की योग्यता नहीं रखते और ब्राह्मण का कार्य नहीं करते हैं वे ब्राह्मण नहीं हैं। मैंने बहुत पंडितों से बातें की हैं, वे लोग कहते हैं कि आज कल वेद को समझना कौन है? वेद को कोई नहीं जानता। मेरा उनसे कहना है कि कोई जाने या न जाने, कोई समझे या न समझे लेकिन आप तो पंडित हैं, आप तो संस्कृत के विद्वान् हैं, आप को तो जानना ही चाहिये। वेद के विषय पर व्याख्यान देने के लिये कई सज्जन तैयार फिरते हैं, विधिवत विवाह कराने का दावा करते हैं लेकिन वेद को जानते नहीं। सनातन धर्म को मानने वाले कहते तो हैं कि हम सनातन धर्मावलम्बी हैं, उसका दावा करते हैं और यदि थोड़ी भी सनातन धर्म के विषय में बात की जाय तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं लेकिन वेद का एक अक्षर भी नहीं जानते। हमको यह समझना चाहिये कि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है। यदि यह चीज लोग समझ लें तो जीवन में बड़ी सरलता आ जाये और कोई झगड़ा ही न रहे। एक पुरुष है जिसने कि वेद का अध्ययन किया है और वेद के द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयत्न किया है वह चाहे क्षत्री या वैश्य किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुआ हो वह ब्राह्मण है इसी तरह से एक स्त्री है जिसने कि वेद का अध्ययन किया है तथा उसके अनुकूल व्यवहार करती है तो वह भी ब्राह्मण है चाहे उसने किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो। उन दोनों में विवाह हो

सकेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग यह शोर क्यों मचाये हुये हैं कि यह जो बिल आया है उसमें जाति पाति का कोई भेद ही नहीं रखा गया है। मैं तो कहता हूँ कि लोग जब अपने लड़के लड़की की शादी करते हैं तो यह हमेशा देखते हैं कि जाति सम्बन्धी हो वह अपने ही समान हो। जैसे कि कोई अंग्रेजी का विद्वान् है, वकील है, बैरिस्टर है या डाक्टर है तो वह यही कोशिश करता है कि अपनी जाति में भी उसी लड़के या लड़की से विवाह करें जो कि ग्रेजुएट हो, वकील हो या डाक्टर हो। मेरा तो यह तर्जुमा है कि अपनी जाति विरादरी में भी बिना पढ़े लिखे लोगों के यहां वे विवाह सम्बन्ध नहीं करते। शिक्षित लोग बिना पढ़े लिखे लोगों के यहां जाति विरादरी में भी विवाह नहीं करते हैं। अब मैं अपने भाषण को लम्बा न करूंगा क्योंकि आप लोग इस बात के लिए आतुर हैं कि मैं इसे समाप्त करूं।

जिस प्रकार कानून की मर्यादा कोर्ट (court) स्थिर करती है और उसके अर्थ (इंटरप्रेटेशन) और विश्लेषण करती है जैसा कि आपने अदालतों में देखा होगा उसी प्रकार से सनातन धर्म का जब अर्थ लगाया जाता है तो वेदों की शरण लेनी पड़ती है और इस पर कोई मतभेद नहीं है कि वेद ही प्रामाणिक पुस्तक है। मुझे नहीं मालूम कि कोई महाशय इस तथ्य से इंकार करेंगे। जब हम इस विवाह के प्रश्न को वेद की दृष्टि से विचार करते हैं तो इस बिल में वह सब कुछ भी नहीं पाते हैं। बिल कहता है कोई भी मनुष्य किसी स्त्री के साथ विवाह कर ले। उसमें यह तो लिखा नहीं है कि अमुक विवाह अच्छा होगा या नहीं। यह तो अपनी बुद्धि से आप निश्चय कीजिये। इस बिल में मुझे कोई बात सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं दोखती। वेदों के विषय में मैंने कहा था कि बड़े बड़े

[Shri C. G. Misra.]

यूरोपीय पाश्चात्य विद्वानों के नाम आपको मालूम है। उन्होंने वेदों के विषय में बड़े अनुसंधान किये और अनुवाद किये। लेकिन हुआ क्या है? वे लोग वेदों के मुख्यतया शुद्ध आधार एवं सिद्धान्तों को छोड़ते गये। कारण यह था कि जिस समय वे इन ग्रन्थों का स्वाध्याय करने के लिए यहां आए तो उन्होंने इन्हीं पौराणिक पंडितों से जो बहुत हल्ला किया करते हैं, संस्कृत भाषा और वेद शास्त्र की पुस्तकों को पढ़ना सीखा। हमारे पौराणिक पंडित लोग स्वयं भी वेद का अर्थ ठीक ठीक नहीं कर सकते थे और उसके ऐसे अर्थ उन्होंने किये कि जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। वह सब इसलिए है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा रचित पुराने ग्रंथ थे, जो उनके बनाये हुए कोष और व्याकरण की पुस्तकें थीं जिनके द्वारा वेदों का अर्थ हो सकता था, वे या तो लुप्त हो गए या जो हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। वेदों का जो प्रामाणिक व्याकरण है वह अस्टाध्यायी है जोकि प्राच्य है परन्तु साधारणतया पढ़ी नहीं जाती है। हमारे दुर्भाग्य से हमारा कुछ प्राचीन साहित्य नष्ट हो गया।

मैं सनातन धर्मी महाशयों से प्रार्थना करता हूं कि आप वेद की पुस्तकों को कम से कम घर में तो रखिए, उसे हाथ में लीजिए। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप कम से कम एक वेद की पुस्तक अपनी आर्थिक दशा के अनुसार चाहे वह सस्ती भी खरीदें लेकिन रखें जरूर। आप उसके केवल दर्शन कर लिया करें, सिर्फ देख लिया करें तब मैं मानूंगा कि आप सनातन धर्मी हैं और नहीं तो आप सनातन धर्मी हो नहीं सकते हैं। आप घर में तो वेद को स्थान नहीं देते और उसके दर्शन नहीं करना चाहते परन्तु उसके आधार पर आप वाद विवाद करना चाहते हैं जो कि एक असंगत बात है मेरा यह कहना है कि एक बात तो यह है।

चुकी कि यह जो बिल है वह बहु विवाह के विरुद्ध होने से वेद के सिद्धान्त और सनातन धर्म के सिद्धान्त के अनुसार है, इस पर कोई आशेष करने की जरूरत नहीं। एक बड़ा विवादास्पद विषय तलाक का इस बिल में है। विवाह का विच्छेद कर देना यह ऐसी चीज है जिसके बारे में वेद में यह आधार नहीं मिलता कि तलाक देने का अधिकार स्त्री या पुरुष को है। परन्तु यदि आप उसका अध्ययन करें तो देखेंगे कि तलाक स्त्री पुरुष दोनों के लिए अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न कर देता है। हमारे यहां वैदिक संस्था में आपद धर्म के बारे में कहा गया है कि जब आपके ऊपर आपत्ति पड़ जाय और धर्म के बतलाए हुए नियमों के अनुसार आप नहीं चल सकते तो आप बुद्धिपूर्वक नियम बना लीजिये। इस तरह आपद धर्म की स्थिति में स्त्री और पुरुषों के सम्बन्ध विच्छेद हो जायेंगे। श्रीमती सावित्री देवी और डा० सीता परमानन्द ने इस विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि हम लोग पक्षपात को छोड़ कर देखें कि हमने स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार किया है, हमने उन्हें पशुवत् बनाया है, और यह कि तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि "शूद्र, गंवार, ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी" इस तरह की जो बातें रामायण में आती हैं उन्हें मैं नहीं मानता। मैं तो केवल वेदों को मानता हूं। हमारे सामने उदाहरण आये हैं कि श्री कृष्ण जी ने एक पत्नी के होते दूसरा विवाह किया। उन्होंने धर्म के अनुकूल ऐसा नहीं किया। जो लोग श्री कृष्ण जी को परमात्मा का अवतार मानते हैं, मानते होंगे। मैं तो नहीं मानता हूं। हां, उन्हें मैं एक विभूति अवश्य मानता हूं। इसी तरह से रामचन्द्र जी ने सीता की परीक्षाएं कीं जो सीता इतनी सती साध्वी समझी गई और निष्कलंक पाई गई परन्तु सीता को एक साधारण मनुष्य के कहने पर परित्यक्त कर दिया . . . . .

PANDIT S. DUBE (Madhya Pradesh):

पं० एस० दुबे (मध्य प्रदेश) : आप बिल पर बोलिये। इन बातों को समझाने की यहाँ क्या जरूरत है। कोई भी विवादास्पद विषय आप नहीं उठा सकते।

(Interruptions.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VIOLET ALVA) : Order, order.

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : स्त्रियों के साथ मनुष्य समाज ने क्या क्या व्यवहार किये यह मैं कह रहा था। मैं प्रमाण देकर, सनातन धर्म का उसे बताना चाहता था। बिल पर तो मैं बोल ही रहा हूँ।

PANDIT S. DUBE:

पं० एस० दुबे : यह तो आर्यसमाज का प्रचार किया जा रहा है।

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : मैंने तो आर्यसमाज का नाम नहीं लिया, इसमें आर्यसमाज का कहां से सम्बन्ध आता है। मैंने तो केवल सनातन धर्म की परिभाषा की।

SKRi B. RATH (Orissa): You are a great Sanatanist.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VIOLET ALVA) : Order, order.

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : मेरे मित्रों को धर्म की चर्चा करने पर आक्षेप करना पड़ रहा है इसका मुझे बड़ा अफसोस है। आखिर मैं इस बात को खत्म कर दूंगा यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं। परन्तु मनुष्यों ने स्त्रियों के समाज के साथ अनेक प्रकार के अन्याय किये जिनकी यहाँ नामावली देने की आवश्यकता नहीं। अब हमको कम से कम उनके साथ न्याय करना चाहिए।

DR. P. C. MITRA:

डा० पी० सी० मित्रा : आपने उनके साथ कुछ अन्याय किया है या नहीं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VIOLET ALVA) : Dr. Mitra, please do not interrupt.

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : मैंने नहीं किया तो मेरे आप दादों ने तो किया ही है। यह अन्याय तो कम से कम पिछले कई हजार वर्षों से होता चला आ रहा है। अगर मैंने अन्याय नहीं भी किया तो भी मैं उससे अपने को बरी नहीं करता हूँ। मैं भी अपने को पूर्वजों के अपराध के लिए दंड का भागी समझता हूँ। इसलिए मेरा कहना है कि अब तो स्त्रियों के साथ न्याय कीजिए और उनको उनका स्थान दीजिए। आपकी पुरानी संस्कृति में स्त्रियों को कितना ऊंचा स्थान मिलता था ?

SHRI H. C. MATHUR (Rajasthan):

श्री एच० सी० माथुर : (राजस्थान) : वर्तमान सभानेत्री से ऊंचा स्थान दे सकते हैं ?

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : स्थान तो योग्यता के अनुसार मिलेगा ही। आपको चाहिए कि आप स्त्रियों को योग्य बनने का अवसर दें, जैसा कि वेद में एक मंत्र आया हुआ है—

उतदेवाः अर्वाहित देवाः उत्तयथा पुनः ।

उत आगश्चक्रुदेवाः जीव यथा पुर ॥

यही गान्धी जी का सिद्धान्त है कि हे विद्वानों, आप लोग जो नीचे गिरे हुए हैं उनको ऊपर उठाओ तथा पापी को भी जीवन दो।

हमें उन लोगों को ऊपर उठाना चाहिए, सुधारना चाहिए, अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूँ इसका अच्छा परिणाम होगा।

SHRI H. C. MATHUR:

श्री एच० सी० माथुर : वेदों में इसके लिए कोई व्यवस्था है, तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है ?

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : वेदों के समय परिस्थिति दूसरी थी परन्तु मुझे इसका स्पष्ट रूप से पता नहीं है वेदों में सिद्धान्त के अनुसार तलाक नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VIOLET ALVA) : Please carry on with your speech so that you finish it early.

SHRI C. G. MISRA: Yes, I am trying to finish it. But I will take some -time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VIOLET ALVA) : You have already taken a long time.

SHRI C. G. MISRA: I am trying to wind' it up. After all, Madam, this is a long subject. (Interruption.) I am -talking about vedas on the basis of my •personal knowledge.

वेदों में एक ही स्त्री की आज्ञा है। वैदिक सिद्धान्त मानने वाले एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकते हैं और एक स्त्री एक ही पति कर सकती है।

SHRI H. C. MATHUR:

श्री एच० सी० माथुर : क्या वेदों में एक ही विवाह की व्यवस्था है।

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि जिन महाशयों का विवाह हो चुका है वे यह समझें कि विवाह मंत्रों और वैदिक रीति से सम्पन्न होने की बात स्पष्ट है।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो स्वकालिक हैं, क्या उनमें तलाक की व्यवस्था है, इसमें आपका क्या मत है ?

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : वेदों में तलाक का सम्बन्ध में कुछ नहीं है, इसके आगे मुझे मालूम नहीं है।

SHRI M. S. RANAWAT:

श्री एम० एस० राणावत : क्या वेदों का अमेन्डमेंट (amendment) भी हो सकता है ?

SHRI C. G. MISRA:

श्री सी० जी० मिश्र : वेदों को जिसने प्रकाशित किया है वह उनका अमेन्डमेंट कर सकता है, हम बिना अधिकार के कैसे कर सकते हैं।

आजकल जो विवाह होते हैं वे वेदों की भावना के विरुद्ध होते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अगर लड़का कमजोर होता है तो लड़की शक्तिशाली होती है, अगर लड़की कमजोर होती है तो लड़का शक्तिशाली होता है। लड़का पढ़ा लिखा होता है तो लड़की बेपढ़ी होती है। इस तरह से हमारे यहां विवाह सम्बन्ध बहुत अजीब तरह के होते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि विवाह के कुछ समय बाद ही आपस में प्रेम नहीं रहता और तरह तरह की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। हमको शादी के सम्बन्ध में अच्छे नियम बनाने चाहियें। मैं समझता हूँ कि अगर सब लोगों का सहयोग लिया जाय तो हम इस बिल को एक सुन्दर बिल बना सकते हैं।

[For English translation, see Appendix VII, Annexure No. 143.]

[Mit. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

PANDIT S. DUBE: Mr. Deputy Chairman, as you obviously see, I am an old man and I have travelled long along the path to the bourne from which no traveller returns, and therefore I am entitled to place before my compeers in this House the result of such experience and such observations as



I have been able to gather in the long course of my 75 years of existence. And I trust that the opinions and the impressions which I shall express will be received by the House with that feeling of satisfaction with which I wish to express them.

There has been a great deal of discussion, and I am grieved to say, irrelevant discussion, on the subject in hand. We have a reputation for India being a spiritual country, a spiritual race. No place, no country in the world, claims that position. Everybody all the world over, whether he is a Christian, a Muslim, a Buddhist or a Jain, says that India is a land of spiritual existence. Why is it said like that? Is there anything special about India? I think we have to raise this question very properly. What is it that constitutes spirituality in our land? What is it that makes us so high? Obviously there is something more in it than ordinarily we might see. As a matter of fact we have established our reputation for having conquered the lower instinct by the , higher instinct, the beastly instinct by the spiritual instinct. That is why we have got the reputation of being a spiritual race, a race of people who have lived the life of the religion which they have evolved. They have not merely come to certain conclusions, but they have lived on those conclusions. From morning till night the Hindu lives the life which he believes has been set down for him as a proper course of action. It is this thing of the spirit with which we are concerned when we talk about so many things in connection with the marriages that come forward. What is it that causes man to be higher than the animal? As has been said by my friend over there:

“जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते”

A man is born a *Sudra* but by *Sanskara* he becomes a *Dwij*. This is the essential part of our religion. Friends have said that they do not know what *Sanskara* is, that they do not know what sacrament is. Sir, we all know that in the three *Varnas* which are known as *Dwij*s, every young boy is

2 C.S.D.

given a spiritual birth by the *Upana-yanam* ceremony. The *Upanayanam* is the beginning of the first *Sanskara*. It is the first sacrament. It is what is called rebirth in spirit. I wish my friend, Prof. Malkani, had been here now. It is the outward sign of an inward grace, professing to develop the individual for a life of self-control and a life of discipline. It is an entry into a life which shuns delight for the time being and to live laborious days; it is an entry into a life of *Brahmacharya*-That *Sanskara* has been enjoined and is performed between the ages of 8 and 11 or 12. Why? Why should the age be put down? It is because it is the age that just precedes the age of sexual urge, the sexual impulse. Therefore, before one enters upon the age of sexual impulse, one is introduced into a course of life which teaches discipline, self-restraint, self-control, which shows you how the life in subsequent years should be regulated and guided. For this purpose and as a constant reminder to you, you are given a sacred thread. Its sacredness consists in this that if is a reminder to you that you are not to practise anything which is against the life of self-discipline that is laid down for you-It is a constant reminder to you that you must lead a life of self-restraint, that you must always work for self-control and self-discipline. It is this self-control, it is this discipline, it is this victory of the spirit over the animal in you that is called a sacrament. Therefore it is that only those who believe in this sacrament, who believe in this rebirth, they alone are eligible to come forward and say as to what shall be for our good and what shall not be for our good. Those who don't believe in this sacrament, those who do not believe in the entry into a higher birth, those who do not believe that this is the first step towards a higher life, have no business to talk about how we should carry on our lives. I say that those who do not believe in this should keep their hands off from us. Surely, in this democratic age, you will not impose your beliefs upon us. If you think that what you alone think is good, why should you

L.Pandit S. Dube.]

force that belief upon me? Who are  
you to tell those who believe in a life  
of self-restraint, as to what their life  
should be?

SHRI B. RATH (Orissa): But do you  
practise it?

PANDIT S. DUBE: This is a question which is not only irrelevant but also improper. The practice of a man does not take away from the validity of the principle he believes in. Because I am a bad Hindu, does it mean that Hinduism is bad? Because a Christian is bad, does it mean that Christianity is wrong? Does it mean that because there is a bad Muslim, the principles of *Koran* are wrong. Certainly not. Only the practice of those principles is wrong. You don't believe in these *Sanskars*. Then, why do you want that I should be converted to your view? This principle of sacredness, this principle of *Sanskar*, applies to the marriage ceremony also. The girl, at the time of her marriage, goes through a *Sanskar*. After marriage, the husband and wife enter upon a life of union of the spirits. What is the marriage therefor? So far as our *Shastras* are concerned, it is "sp3rpf faq^fatJTif" for the purpose of getting issues, for the purpose of begetting sons. It is for this that the marriage is there. Now, you want contraceptives. You want to enjoy sexual pleasure without any restraint. You want that you should be able to indulge in your personal pleasures. Sir, for us, for those who believe in this vital principle of our religion, marriage is a *Sanskar*; it is a sacrament. The marriage tie is sacred and inviolable. They take the oath that they would live together their lives and be constant as the Pole Star, which never moves from place to place. It is this complete union of the spirits that prevents any possible escape into divorce or separation from one another. It is the idea that you are made for one another that makes the marriage inviolable. It is this idea which enables you to carry on as husband and wife without any fight or disagreement. It is this idea which

keeps the family as one, and it is this idea which has preserved Hindu society up till now, whatever the attacks that have been made upon it, over hundreds of years, from Kashmir in the North down to Cape Camorin in the South and from the East to the West. In spite of all attacks, this one idea has remained that marriage between a man and a woman is sacred, is eternal, should never be broken except under certain conditions which have been laid down by the *Shastras*:

“नष्टे मृते प्रव्रजिते, कलीवे च पतिते पतौ ।  
पंच स्वापत्सु नारीणाम्, पतिरन्यो विधीयते॥”

One is apostasy. If you change your religion, your wife is entitled to divorce you. The second is desertion. If any of these things happens, then the wife is entitled to have another husband.

Here, we are trying to introduce divorce on account of venereal disease. Now, we must remember that, when we are making this law, we should not take a short view of things. We are legislating for future society. We are legislating for the nation. So, we should take a very very long view of things as to what will happen and as to what will not happen. At the time this provision was introduced into the Bill, probably antibiotics had not come into the market, and as has been stated by a medical Member the other day, it is now not more difficult to cure these diseases than others. Therefore venereal disease should not be made a ground for divorce. I venture to say that modern research is going on at such a rapid pace that even leprosy appears to be well within the bounds of conquest, and we must not make any provision which will subsequently prove to be ridiculous. For, leprosy is curable, <sup>PM</sup> because V. D. is curable, therefore we must see to it that as far as possible such a provision which is not likely to be of much use should not be put in the statute book.

Having said that, what I was submitting to you was this. To say that marriage has nothing to do with religion is an absurd proposition. Our

whole belief is that marriage and religion are indissolubly connected together. Marriage flows as a result of our belief and that should not be allowed to be interfered with. Now my friends will say, "If that is so, what about the marriages of other people, marriages which are celebrated without religious beliefs". I say, I have no objection to that but for decency's sake, keep your views to yourselves and regulate your own conduct and your own life by your beliefs. Why do you want to interfere with my way of life and why do you want to interfere with the belief that I have, simply because you have got a certain kind of belief? It is this that I am against. In fact it is very curious that it is the non-believers in this way of life who come forward to compel the believers to conform to their ways of thought. Sir, it must be remembered that so far as the object of marriage is concerned, from our point of view it is to create a family and it is based upon spiritual kinship; but if you disregard that, then I ask the further question, "what is the use of calling it a marriage?" Why not just agree to live together and consider that this is a relationship of which only the police will take notice. Take it as just a connection between a man and a woman and if you say 'What about the children?' I say. 'Acknowledge them as soon as the children are born and say they are your children.' After all your idea is to make the children legitimate so that they may get the property in succession. Beyond that there is no other idea and therefore if you are very anxious that the children of such succession should get the property, by all means say that these children will get the property. Why do you try to import into that sacred word of 'Marriage' the idea of a secular connection which has nothing to do with religion? You can have your secular connection as much as you like but for goodness' sake, don't try to misrepresent the vital principles of our religious faith and belief by saying: 'What I call marriage, you also call marriage.' It cannot possibly be. I

can never accept the marriage that you are putting forward as marriage as a marriage in the sense in which I consider marriage to be.

Sir, there is a great deal said about monogamy. I am perfectly willing to concede, and as my friend Prof. Malkani also said, I am willing to concede that it is quite in consonance with modern ideas for a man not to have more than one wife. I quite agree. But if you will be pleased to see, the position was mostly developed in the West—developed in the sense in which we now take it. In England for instance monogamy was the law. It was generally considered to be the standard kind of behaviour. But look at our country. What has been the position in our country? In our country, so far as I am aware, there are very, very rare instances of further marriage in the case of intelligent, educated people. But in the case of the farmer, of the *kisan*, what does he do? He has to undergo a lot of physical labour. He has to work hard in the fields. If his one wife is pregnant, or if one wife is sick, and he has not the capacity to engage a servant and he has to marry a woman and that woman helps him in domestic work and in everything, to earn his livelihood. He thus gets a wife and also a servant and he is happy. I have known in Madhya Pradesh, where you have the weavers, especially in Nagpur city, with whom I have mixed very intimately and I know that the weavers working on a long piece of cloth have to be running from one end to the other, sometimes twenty or twenty-five yards, working on the warp and woof. Unless they have their wives to help they cannot manage it. They cannot engage servants and pay them. So they have the wife to help them. It is an economic necessity. That is what I am saying. I am not joking about it. It is an utter economic necessity for the lower classes, and millions of people do it. It is not only in Madhya Pradesh but it is there in Punjab, in Gujerat, in Bihar, in U. P. ....

AN HON. MEMBER: No, not in U.P

BANDIT S. DUBE: Not in UP.? Very well, I shall correct myself to that extent. Maybe that the farmer does not need such assistance, the holdings being too small.

SHRI RAMA RAO: In that case, if what he wants is a beast of burden, why not he marry a bullock?

PANDIT S. DUBE: Please talk sense, Mr. Rao. «.

I was saying that this is the actual state of things. I am not saying that I approve of it. I do not say that it is a state of things of which I am enamoured. All I say is, this is there: as a matter of fact.

SHRI B. RATH: What does it show?

PANDIT S. DUBE: Supposing they do .lot marry more than one wife, can you guarantee that the superfluous, women in the community or caste will not be attached to a particular man without marriage? It is possible that that may be the result. What are you going to do to see that the superfluous women in that section of society are properly cared for? It must be acknowledged that there are such superfluous women in certain communities. (*Interruption.*) Did anybody want to say anything?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go on.

PANDIT S. DUBE: What I say is, this question has to be considered from this point of view also. It must be seen to what extent this monogamy is desirable in the present state of our society. If our country advances to such an extent that everybody realises his responsibility towards his wife and is able to see that full justice is done to his wife and there is no necessity for him to marry a second wife, if he is able to see that his wife is never sick, ill and he never wants to marry a second wife under any circumstances whatsoever, then that is a different question altogether. But I venture to think that it is not always possible, or rather, I cannot conceive of circum-

stances in which it is not possible for a man not to have a second wife.

A wife may be ill; a wife may be unable to fulfil her duties, and a wife may suddenly develop some kind of inability to live in the house properly and to live comfortably. Is it meant to be said that you are going to prevent that man from marrying for all the time? I submit, not; there must be an exemption. It is too drastic a rule to be observed in our country and to save the invariably monogamous state of society. Of course, I put forward this idea with a view to make the Select Committee examine the question from every point of view. The position, so far as monogamy is concerned, appears to me to be more or less—though good in theory—a kind of aggressive possession by the ladies, "I must have you and you alone and nobody else." I would commend for your reading Bernard Shaw's 'Don Juan'.

SHRI RAMA RAO: Don Juan?

PANDIT S. DUBE: Yes, he has created a Don Juan. It is mentioned, I think, in "Doctor's Dilemma". I will not go into further details about the character that he has created but what he says is like this: "What, do you mean to say that because I have had, once or twice, a meeting with a lady I am going to be tied up to her all my life and to look after her, to maintain her, to earn for her and to make my life miserable by tying myself up with that woman?" That kind of argument was put forward and though it is more or less serio-comic—it is not very serious .....

SHRI RAMA RAO: Very comic indeed.

PANDIT S. DUBE: It is more or less comic but the point is there and he has not missed it. I would submit, Sir .....

SHRI RAMA RAO: You forget he also quotes Shakespeare as saying that a man can have seven wives, one every day of the week.

PANDIT S. DUBE: Therefore, the position so far as the Bill is concerned is this: The two important questions have got to be looked into by the Select Committee with very great care. I think the Members who have been named in the Select Committee are very good, of course. They are very competent gentlemen from every point of view but I would have wished that it had contained one or two more names to represent the view which I am putting forward. So far as the list goes, I find Dr. Kane is there who is a Brahmin, and also Mr. Patta-biraman. That is all that I find and I personally consider that those who do not believe in the principle which I am trying to advocate have no business to come forward and legislate for me. If I were to say that I should be appointed on a Select Committee for trying to find out what is good for the Catholic religion, I do not think that the Catholics would like it. If I were to say that I, a Brahmin and a Hindu should be appointed on a Select Committee for settling the marriage laws of Jews, I do not think the Jews would like it. Similarly, so far as I am concerned, I believe that my point of view must be sufficiently represented in the Select Committee.

There is just one point more and that is this. So far as the Select Committee is concerned, it is known that one-third of our Members are going out and that new Members are coming in. Therefore, when this question comes up, it is the new Members who will, more or less, be taking an important share in it. It does, therefore, appear to me to be somewhat incongruous that people who are going away cannot be taken in because they are going and the people who are coming in cannot be taken in because they have not come in. Therefore, I think perhaps Government may consider it more appropriate if the appointment of the Select Committee is deferred for the time being to enable other Members to come in so that when the next Session commences, the Members who will be here for a longer time could have an opportunity to deal with it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Rath. Please be brief. We want to finish the debate today. The hon. the Law Minister will reply on Monday.

SHRI H. C. MATHUR: Why cannot the debate be continued on Monday also?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is other business.

SHRI B. RATH: Sir, there has been much discussion about religion, about sacrament and about sacred duties into which I will not go, nor am I going into the domain of Mr. Dube, who wanted to simplify the whole thing by saying that one who is not a Brahmin is not a Hindu and again one who does not believe in the principles of spiritualism, although he does not practise it, is not a Brahmin and that only such Brahmins can have the right to be the custodians of Hindu society. That means that only those who believe in spiritualism or who believe in the principle of spiritualism although they do not practise it, it is for them, it is they only who can legislate for the Hindu society and nobody else can. Sir, fortunately or unfortunately I am born a Hindu, and if Mr. Dube can persuade the Government to have some legislation as to maintain a register as to who should be called Hindus and who not, then I would request the Government to have such a caste as the caste of Indians and I would very gladly walk into that, and I will leave Mr. Dube and the few who are his fellow-travellers to boast that they believe in principles and do not practise them.

With this, Sir, I come to the Bill and I will simply say that it is not looking into the Vedas or the Puranas or the Upanishads that is necessary now, but we have to see to the present circumstances of society and how far we are going to adjust ourselves into it. If we go to the Vedas and the Puranas and the Upanishads and go into those examples of the past, then some gentleman may come forward and may say that polygamy should be

[Shri B. Rath.]  
 allowed if it is publicly declared and because Draupadi married Ave people one woman can also have five husbands and so polygamy or polyandry can be practised in the present society because in the past also that was there. I don't believe in that. I am not going into the past. I am concerned with the present condition of the society .....

DR. P. C. MITRA:.....and the future also.

SHRI B. RATH: Those who oppose divorce, those who say that Hindu society does not allow divorce, must remember that Hindu society does not consist of only Brahmins or the Kayasthas among whom divorce is not practised. If we accept the definition as it is, we will find that those castes which are included in the Hindu religion have practised divorce. Even they are not going to come to the law courts. In our State there is the custom of *Chadpatra* according to which if a husband expresses a desire or a wife expresses a desire to live separately, it is allowed, and it prevails among the cowherds (*Goalas*) and the weavers, etc.

SHRI S. M. HEMROM (Orissa): In that State is it prevalent amongst Brahmins?

SHRI B. RATH: Amongst Brahmins .. they *can* \ leave the company of the wives. The wives .cannot but the husbands have the right, I believe, in all States. So to say that the Hindu religion does not allow divorce would be wrong. Of course, certain castes amongst the Hindus do not allow the woman to divorce but the heads of those castes practise divorce. That means it is the male folk who practise it and do not allow the womenfolk to practise it. So divorce is there. All that is needed now is that the right that has so far been exercised by the male folk should be extended to the women. Whether we are going to allow it or not is the question. If you do not allow it then you will have to concede that you still believe in the fact that it is the man who will dominate always and women

will not have equal rights. Be clear about it; otherwise if you say, 'we are all equal; women should have equal rights in the society' then you must concede them the rights that you possess and that you exercise. So I believe that divorce must be allowed and that also allowed not with so many provisos but even in cases where the husband and wife both agree to separate from each other and jointly come before the court saying that they cannot continue to live together, they must be allowed to separate and the court must agree to give them a decree of divorce.

Then, Sir, we find that in the lower castes in Hindu society wherever divorce is practised by both the sexes, there both sexes are economically independent of each other.

DR. P. C. MITRA: But they are untouchables.

SHRI B. RATH: Are you going to include them in the Hindu society or not?

DR. P. C. MITRA: They are untouchables. How can.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI B. RATH: My friend still wants to remind me about the untouchables. Perhaps he must be practising untouchability since 1932 .....

SHRI H. C. MATHUR: In our Constitution we have no untouchability.

SHRI B. RATH: He does not believe in that in spite of the fact that he has sworn allegiance to the Constitution. However, I believe it is the economic independence which has given the right of divorce to the females. Now, as we are progressing and as we are trying to see that both the sexes become economically independent of each other, the time has come when we must admit that right. There will be occasions, there will be cases where such things will come before the court and we cannot stop them. So it is

better that we concede from now that that right is guaranteed under the law.

Thirdly, Sir, with regard to some of the provisions of the Bill, I would submit, through you, to the members of the Select Committee that this Bill should be made as simple as possible. I feel that there are certain provisions which can be further simplified and cannot be left to the interpretation of the lawyers or to the decision of the court. I want to draw attention to some of the definitions with regard to *Sapinda* relationship, prohibited degree of relationship and others. I would submit that instead of making such definitions, it would be much better to lay down a table saying that such persons cannot marry such and such persons if they are related in such and such a way. Instead of making it 'five generations', 'three generations', and then prescribing it like this and like that, I would request you to just make a catalogue that such and such persons cannot marry if they are related in this particular way.

SHRI H. C. MATHUR: Do you think that these restrictions should be there?

SHRI B. RATH: Yes, there must be some degree of prohibition.

SHRI M. S. RANAWAT: Why?

SHRI B. RATH: Then, I will have to discuss biology with you.

SHRI T. PANDE: There should be complete freedom; there should be no restriction. It is 'sanatana dharma'. (Laughter.)

SHRI B. RATH: Rather, raise the age of girls, say, to 16, 18 or 20; after which the consent of the parent will not be necessary. There are still parents, there are 'sanatanists' who will take advantage of this age of 15 to give their daughters in marriage to somebody else and take out some money, some advantage out of it. They can sell their daughters for money.

DR. P. C. MITRA: Perhaps in Orissa, it may be so.

SHRI B. RATH: Why in Orissa alone? It is no exception. There will be such cases in your own place. So, I would suggest that you raise the age of girls to 16, 18 or 20. I don't worry. You can say, "After the girl attains the age of 18, no consent is necessary". Do not keep the age at 15, and say all these things. You can get rid of some sections, the question of guardianship of brother, mother and others. Such vexatious problems over guardianship would not arise. •

Then, I come to the proviso. Here, in section 12, in (b), it is provided that "no petition under this sub-section shall be entertained after the expiry of one year from the commencement of this Act". How this proviso is there, I do not understand.

DR. P. C. MITRA: You cannot understand it now; after old age you will understand it.

SHRI B. RATH: I will submit, Sir, in the end one thing. Of course, I will not be here for the next session. Since this Bill is a very small Bill, consisting of 30 clauses, of which one relates to 'Repeals' and the other 'Savings', I think this will be passed in the next half of this session which will begin on the 18th of April or so, after this adjournment; and I think, the Select Committee should sit, and the Law Minister will take interest to see that the Select Committee sits, during this inter-session period and pass this Bill before the end of the session. Since this House has only 15 Members on the Select Committee, and the other House will be sitting in this period, I suggest that the Select Committee should sit during this period so that this Bill comes out from the anvil of the Select Committee and is placed before the House and passed into law in the next session. With that suggestion, Sir, I support the Bill.

SHRI B. K. MUKERJEE (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, I stand to oppose the motion before this House. The speaker who preceded me wanted that the Bill should be passed during the next session; but I want to



[Shri B. K. Mukerjee.] be more progressive, and I want this Bill to be passed in this session, and if it is possible, today as this legislation, if it is passed will add one dead letter in the Statute Book. Therefore, Sir, whether it goes to the Select Committee or not, if it is passed in this House and is sent to the other House, that will not make much difference, because this legislation seeks to remove certain disabilities in our society. So it is "a social legislation as opposed to political or economic. This is a social measure though of course, it is not a new thing before this House or before the Parliament. We have got enough experience of such social legislations. Now, Sir, first of all I have got here to support what my constituency says about this Bill, *i.e.*, the Uttar Pradesh Government. That Government says, Sir, as follows:

"I am directed to say that the State Government are in general agreement with the provisions of the Bill except in regard to the provisions about divorce."

I feel, Sir, that the most important provision in this Bill deals with divorce and most of the speakers who spoke in support of this Bill were very anxious to have this provision" of divorce. Therefore, if this provision about divorce is taken away from this Bill, there is no necessity for passing this legislation. What is the reason for that? What is the argument of the Members who spoke in favour of this legislation? What is it that they want? I am inclined to believe that they are guided by their desire for more and more worldly pleasures and happiness. And the more we aspire for worldly pleasures, the more will we be faced with difficulties and miseries in this world.

SHRI S. N. MAZUMDAR (West Bengal): Then renounce this world.

SHRI B. K. MUKERJEE: My friends over there will probably be convinced if they try to understand what I mean. My friends opposite desire peace in the world. Everybody talks of peace in

this world, but at the same time everybody is trying to have more and more armaments. The more armaments are piled up, the more become the conflicts.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not concerned with armaments here.

SHRI B. K. MUKERJEE: I am only giving an example, Sir. They all talk of peace in the world but they end peace by producing more and more armaments. Now, we are legislating for deriving more pleasures, and we will only be faced with more difficulties and miseries. Nothing else than that. My contention is that by passing this legislation, we will not achieve the desired objective, *i.e.*, more pleasure. We will not be able to get any pleasure by getting this legislation passed. We will only be faced with more difficulties and sufferings.

I have got another ground for opposition to this Bill. When I saw this first, I thought that there were some good provisions in it. It was my opinion before. But when I heard the first speaker from the opposite side who started the discussion yesterday, *i.e.*, Shri Bhupesh Gupta, I had to revise my opinion on this account, because this has been supported by people who have nothing to do with this country, or with our society, or with the Hindu religion or the Hindu community. When such people advocate the cause of the Hindu society, then naturally.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please avoid such insinuations.

SHRI B. K. MUKERJEE:..... I had to change my opinion on that account.

SHRI T. S. PATTABIRAMAN (Madras): Change it for us also.

SHRI B. K. MUKERJEE: It may be that they want to convert some of the Members on this side to their own ideology, or to create chaos amongst our society. They aim at either of these things, nothing else. That speaker said that the State of Uttar Pradesh and the Government of Uttar Pradesh

are very reactionary. Is it because the Government of Uttar Pradesh opposed this measure? He probably said this because there is no red flag in Uttar Pradesh, there is no Communist in Uttar Pradesh. Therefore, according to them, the Uttar Pradesh Government is reactionary. But we on this side like this Government because it is a Government which has kept the red flag far away from its borders.

Now, one of the provisions in this Bill is for monogamy, as opposed to polygamy, but we do not require any legislation for the practice of monogamy. I do not know if there is any Member in this House who is at present having more than one wife, simply because there is no legislation now to prevent polygamy. The reason is that it is difficult for even Members of Parliament to maintain one wife.

HON. MEMBERS: Question.

SHRI B. K. MUKERJEE: I don't know if any Member can ...maintain more than one wife because it is impossible these days .....

SHRI K. RAMA RAO: Question.

AN HON. MEMBER: Shri Rama Rao does not agree.

SHRI B. K. MUKERJEE: I know because the cost of living index has gone over 400 now and therefore it is not so easy to have two wives now. It is very difficult to maintain even one wife.

AN HON. MEMBER: If he marries a woman MP. that will help his finances.

SHRI B. K. MUKERJEE: Even without legislation, nobody likes polygamy. But by legislation we cannot prevent it. Some speakers before me stated, that there are economic factor\* for which in some of the areas in this country people are compelled to take more than one wife. Any amount of legislation cannot prevent them from

2 C.S.D.

taking two wives but by persuasion or by education they can be prevented. But by force you cannot prevent them. If you could prevent by force of legislation then I ask, we have in the Statute two legislations—I mean the Sarda Act and the Widow Remarriage Act, are they operative in this country today?

HON. MEMBERS: Yes.

SHRI B. K. MUKERJEE: No, they are not. We have got Members in this House—Lady Members, widows, who have been very energetic and enthusiastic about having this Bill passed even today.

AN HON. MEMBER: What is their age?

SHRI B. K. MUKERJEE: That does not matter but they are not married. Child marriage is banned by legislation but thousands of people are marrying their children before \*hat age. The law is ineffective. The law is dead in the Statute Book. Now what I want to stress is that we will be adding one more dead letter in the Statute Book by passing this legislation. This legislation is not required at all. Even those ardent supporters of this Bill stated today and yesterday in this House that even after passing this Bill, there will be very few divorces. If there are chances for very few divorces, and the entire country is opposed to this divorce system then for the sake of a few individuals we should not legislate, ignoring the people at large in this country. The people are not in favour of this divorce but they can be educated and persuaded without legislation. Now some time back our caste system in the Hindu society was so acute that a man of one caste did not eat with a man of another caste. All these things were not removed by legislation. But gradually, when people felt the urge, when they felt the need and the necessity for it, they got abolished and there are no such practices or customs, there are no such caste-systems in Hindu society. I shall give another example. Some fifty or twenty-five

[Shri B. K. Mukerjee.] years back, if anybody from a village or even from a small town went to a foreign land, say England or America, for education, he used to be socially boycotted by the people. But now these things have all gone, they have been almost forgotten. Take another example. When our medical colleges were started in this country, some 150 years back, those boys who were getting educated in these medical colleges, because they had to practise and learn on dead bodies, dissection and such other things, were socially boycotted. But what is the condition today? If a boy is in the M.B.B.S. class,—he need not have finished the course and become a doctor—our friends would go and seek matrimonial alliances ■with those boys for their daughters. That is the condition of things today because society has felt the necessity for such a reform in these matters. This has been brought about not by legislation but by education and persuasion and by the force of necessity of the \*imes. Similarly, if there is the nece^ty for divorce, some people, some ladies may come forward and show the path to other sisters. Let us create a convention. After all, we know convention has got more force than legislation. In . this Bill also tie framer or the drafter of this Bill has shown some sympathy or some regard for customs and usages. We have to create customs and we have to create these usages, because these things are more forceful than legislation and as I have already said, legislation has not changed society, for the Sarda Act is a dead letter in the Statute Book today.

Some friends were wanting equality. The friend who spoke just now, who preceded me, said he did not like to discuss biology here. So I also will not discuss biology here. But they all want equality and I do not know why. There are, after all, natural obstacles before us. They were also talking of science and telling us that we are all in the year 1954. Many of our friends here have stated that we are in the

year 1954 and not in 1854. Science has advanced very much. It has advanced so much that there are transformations. After all, nothing is lost in this world. Matter cannot be destroyed, but it can be transformed from one thing into another. One thing is transformed into another thing, but nothing is destroyed. Matter is indestructible, but it is transformable. Science has proved that—that not only is matter transformable but that sexes are also transformable. If a wife is disgusted with her husband, why go in for a divorce which is a demand of yesterday? After all, science has advanced beyond that. It has progressed. So no more talk of divorce, but ( only of transformation. If a wife is disgusted with her husband, she should go to the doctor and not to the lay lawyer. This Bill, I feel will be putting more money into the pockets of lawyers, and I plead for the doctors here. Go to the doctor and transform yourself.

When I am disgusted with my wife, I will certainly go to my doctor. My advice to those persons who are advocates of this is that instead of demanding a divorce which is a demand of yesterday, we should talk not of divorce but of transformation.

SHRI T. S. PATTABIRAMAN: You bring a private Bill for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. You must be more serious in your remarks, Mr. Mukerjee.

SHRI B. K. MUKERJEE: In the Bill, there is demand for equality, but I am surprised that none of those Members who spoke in support of the Bill have pointed out the anomalies which are existing in the draft. In sub-clause (iii) of clause 5, the ages mentioned are eighteen and fifteen. If you want equality of both the sexes why don't you come up and say that both the boys and girls must be of the age of fifteen? If I am suggesting equality I will surely demand that boys and girls must be of the same age, fifteen or even fourteen.

SHRI V. K. DHAGE: Not sweet sixteen?

SHRI B. K. MUKERJEE: Then there is the provision for alimony, temporary and permanent. Now, there was talk for the wives only, but there are lady Members in this House and I do not know if they have all their husbands employed. There may be a few husbands who may not be employed, who is out of employment today, and if there is to be a divorce, why should not the lady Members pay for the maintenance of their husbands? If I they come forward with that argument, I will certainly agree but none of them had the courage to say, "We do not want this provision for ourselves alone but we are ready to give this concession to the men also". If this Bill is to be passed, in all fairness, because you are all advocates of the equality of sexes, provide for equal age for both the girls and boys and if we provide for alimony, it should be for both, the wife and the husband.

With these words, Sir, I will again appeal to the Law Minister not to press his motion in this House. If it is possible, I request him to withdraw this Bill because this will only add another dead letter in the Statute Book. If he cannot do that under some pressure from some quarters in this House, let us have this Bill passed here and now. I am opposed to referring this to the Select Committee because the Select Committee cannot improve on that. Therefore, I want this Bill to be passed just now, if it is not possible today, on Monday we can pass this.

KAZI AHMAD HUSSAIN (Bihar):

قاضی احمد حسین (بیہار) : جناب صدر اس بل (Bill) پر کافی بحث ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ متوجہ اس بل پر کچھ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیئے کیونکہ اس بل کا تعلق تمام تر ہندوؤں سے ہے۔ میرے لئے یہ

مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس بل پر کوئی تفصیل کے ساتھ تبصرہ کروں۔ میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس (House) میں ہندو قانون کو جاننے والے اور ہندو سوسائٹی کو جاننے والے بہت سے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اس پر بہت کچھ کہا اور آگے بھی کہیں گے۔ لیکن اس میں دو ایک باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جنکا اثر شاید مسلمانوں پر پڑے۔ اس لئے بل کو سلیکٹ کمیٹی (Select Committee) میں لے جانے سے پہلے آپ کے سامنے ان باتوں کو لا دینا بہتر ہوگا۔

جہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ قانون کن کن لوگوں پر لاگو ہوگا وہاں یہ بھی ہے۔

SHRI V. K. DHAGE:

श्री वी० के० धगे : यह बिल हिन्दुओं पर ही लागू होगा।

[Kazi Ahmad Hussain.]

قاضی احمد حسین : میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پر سیکشن سی (Section C) میں یہ پروویژن (provision) ہے اسکے کچھ حصے کو میں سمجھ نہیں سکا ہوں۔ اس میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ یہ بل مسلمانوں پر عیسائیوں پر پارسیوں پر اور یہودیوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اسکے بعد اتنا اور ہے کہ اگر رسم و رواج کی بنا پر کوئی شخص ہندو رسم و رواج کا پابند ہو تو اس پر یہ لاگو ہوگا یہ بات میں نہیں سمجھ سکا ہوں۔

[Kazi Ahmad Hussain.]

آپ ایک جگہ انکو مستثنیٰ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کا پراویزو (proviso) اس میں کیوں لاتے ہیں - ہمکو کچھ ایسا متحسوس ہوا کہ یہ بل کہیں مسلمانوں پر بھی عائد نہ ہو جائے کیونکہ ہم لوگوں کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ہملوگ اونچے ذات کے مسلمان کئے جاتے ہیں یعنی جیسے سید لوگ ہیں اور شیخ لوگ ہیں وہ اونچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ ہی مل جل کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں بھی کچھ ایسے رسم و رواج پیدا ہو گئے ہیں جو ہندوؤں کے رسم و رواج سے بہت کچھ ملتے ہیں - مثلاً جیسے ہمارے یہاں کی جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں انکی شادی ہونے میں بڑی دقت ہوتی ہے - میرا تجربہ تو ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں مائو اگر کوئی عورت کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو جائے تو سوسائیتی میں اسکو ادھر ادھر دبا کر رکھ لے سکتے ہیں لیکن اگر کہیں خدانخواستہ ایسا ہو گیا کہ وہ شادی کر لے تو پھر تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے - کٹ کیا جاتی ہے بالکل دھتی ہی نہیں - تو میں نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اس سیکشن کے پراویزون کا کیا مطلب لکایا جائیگا کیونکہ ہندو سوسائیتی میں اس طرح کا رواج ہے اور اگر مسلمانوں میں بھی اس طرح کا رواج کسی گھر میں ہو تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے -

SHRI V. K. DHAGE

श्री वी० के० धगे : इस्लाम में तो निकाह मना नहीं है ।

KAZI AHMAD HUSSAIN:

قاضی احمد حسین : میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے مسلمان اور عیسائی ایسے ہو سکتے ہیں جنکے کہ گھروں میں ہندوؤں کا کوئی اسطرح کا رواج پیدا ہو گیا ہو - تو معلوم نہیں کہ آپ اس رواج کو بھی اس قانون کی گرفت میں لے لیں گے - اس میں مجھے شبہ ہوتا ہے - میں کوئی قانون دان نہیں ہوں - بڑے بڑے قانون دان یہاں موجود ہیں وہ اسکو سمجھ سکیں گے - لیکن میں نے آپ کو توجہ اسطرف دلا دی ہے کہ مجھے اسطرح کا شبہ ہوا - تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہ بل سلیکٹ کمیٹی میں جائے تو اس کلاز (clause) کے اوپر اس نقطہ نظر سے بھی غور کیا جائے -

دوسری بات جو میں یہیں کرنا چاہتا ہوں وہ سیکشن بی (Section B) کے 2 explanation کے بارے میں ہے - اس میں یہ ہے کہ کوئی قانونی یا غیر قانونی لوکا جسکے ماں یا باپ میں سے کوئی ہندو ہو وہ اگر کسی ذات یا فرقہ میں پرورش پاوے نو ان لوگوں پر بھی یہ قانون عائد ہوگا - یہ دفعہ مجھے قبیح سمجھ میں نہیں آئی - ہملوگوں کے یہاں

